BY ABDE MUSTAFA OFFICIAL

SABIYA VIRTUAL PUBLICATION

BY:
ABDE MUSTAFA OFFICIAL

PUBLISHED BY
SABIYA VIRTUAL PUBLICATION

पहले इसे पढ़ें

"आइये नमाज़ सीखें" ये असल में तहरीरों का एक क़िस्त वार सिलसिला शुरू किया गया था
इस किताब में भी आप इसे इसी अंदाज़ में मुलाहिजा फ़रमायेंगे
आगाज़ में ही हमने इरादा किया कि नमाज़ से मुतल्लिक़ मालूमात को एक जगह जमा कर दिया जाये क्योंकि इस मौजू पर कुतुब वा रसाइल तो कसीर तादाद में मौजूद हैं लेकिन हमें ये बातें महसूस हुई :

(1) जो रिसाला इस मौजू पर है वो बहुत ज़्यादा मुख्तसर है कि नमाज़ जैसे वसी'अ मौजू के लिये किसी तरह काफ़ी नज़र नहीं आते। हाँ इस का भी इंकार नहीं कि वो अपनी जगह अहमियत के हामिल हैं।

(2) जो किताबें उर्दू और हिंदी ज़बान में दस्तियाब है उन में भी तफसील मौजूद नहीं जैसी तफसील हम चाहते है। इस के अलावा आम फ़हम अंदाज़ ऐसा नहीं जैसा आप इस किताब में देखेंगे
ज़्यादा दूर नहीं, जब आप तहरत का बयान पढ़ेंगे तो इस का बखूबी अंदाज़ा लगा सकेंगे कि हमने बहुत ही ज़्यादा आम फ़हम अंदाज़ अपनाया है ताकि बा-आसानी कोई भी मसाइल को अच्छी तरह समझ सके।

(3) फ़िर ये कि जो जदीद मसाइल है इनकी तफसील क़दीम किताबों में मौजूद नहीं और बाद में जो किताबे लिखी गई उन में भी, चूँकि काफी कोशिश की गई है कि चार पांच सौ सफहात तक ही मौजू को समेट दिया जाये तो ज़ाहिर सी बात है के नमाज़, तहारत, फिक़्ही इस्तिलाहात और फ़िर नमाज़ में कई नमाज़े , इनके मुख्तलिफ मसाइल वग़ैरह सब की बहुत ज़्यादा तफसील बयान कर पाना मुमकिन नहीं है।

इन्हीं और इन जैसी कुछ बातों को देखते हुये हमने ये सिलसिला शुरु किया जो अब एक किताब की शक्ल में पेश किया जा रहा है और ये किताब कई हिस्सों पर मुस्तमिल होगी।
उर्दू और हिंदी ज़बान के साथ साथ इसे रोमन उर्दू में भी लिखा गया है।
हम बहुत ज़्यादा शुक्र गुज़ार हैं उन लोगों के कि जिन्होंने इस में दिन रात मेहनत की और किसी भी तरह से हमारी मदद की।

अब्दे मुस्तफ़ा ऑफिशियल
मुहम्मद साबिर इसमाइली क़ादरी रज़वी

मुआविनीन : जनाब रियाज़ क़ादरी, हाफ़िज़ अताउर्रहमान साहिब, जनाब दिलबर राही अस्दक़ी, जनाब मुहम्मद फैज़ान और चंद ख़वातीन समेत टीम के जुमला अहबाब।
तफ़्सीली फ़ेहरिस्त किताब के आखिर में देखें।

आइये नमाज़ सीखें (पार्ट 1)

नमाज़ हर मुकल्लफ़ पर फर्ज़ है। मुकल्लफ़ उसे कहते हैं जिस पर शरीअ़त का हुक्म लागू होता हो या जिस पर शरई हुक्म की पाबन्दी लाज़िम हो। अगर कोई नाबालिग है या पागल है तो वो मुकल्लफ़ नहीं यानी शरीअ़त का हुक्म उस पर लागू नहीं होता।

ये ऐसा फर्ज़ है कि जो इस की फर्ज़िय्यत का इंकार करे यानी कोई कहे कि मैं नमाज़ को फर्ज़ नहीं मानता तो वो काफ़िर हो जायेगा। नमाज़ ना पढ़ना अलग बात है लेकिन इसे फर्ज़ ना मानना अलग बात है।

जो जान बूझ कर नमाज़ छोड़ते हैं यानी कोई मजबूरी या उज़्र उन के पास नहीं होता तो ऐसा शख्स फासिक़ है।

इस्लामी हुकूमत होती तो ऐसे लोगों को क़ैद करने का हुक्म है बल्कि क़त्ल करने का हुक्म भी है, इस से मालूम होता है कि नमाज़ की अहमिय्यत क्या है।

जारी है.....

आइये नमाज़ सीखें (पार्ट 2)

नमाज़ के बारे में शरीअ़त का हुक्म ये है कि जब बच्चा 7 साल का हो जाये तो उसे नमाज़ पढ़ने का तरीक़ा सिखायें (अगर खुद जानते हैं तो) आज कल जो खुद नहीं जानते वो भी दूसरों को सिखाने निकल पड़ते हैं। अगर आप नहीं जानते तो पहले अच्छी तरह सीख लें, ताकि बच्चे को सिखा सकें।

जब बच्चा 10 साल का हो जाये तो उसे नमाज़ पढ़ने का कहें, उस पर नर्मी बर्तें और अगर ना माने तो सिद्दत इख्तियार करें और मार मार कर नमाज़ पढ़वायें।

आज कल देखा ये जाता है कि लोग नमाज़ पढ़ने के लिये तो नहीं मारते लेकिन स्कूल भेजते वक़्त काफ़ी सिद्दत दिखाते हैं। हमने देखा है कि कई लोग अपने बच्चों को घसीट कर स्कूल ले जाते हैं लेकिन नमाज़ की बात आये तो बस इतना कह देंगे "बेटा नमाज़ पढ़ा करो" और इस से ज़्यादा कहने की हिम्मत इसीलिये भी नहीं करते क्योंकि दूसरों को कहने से पहले खुद को भी देखना ज़रूरी है।

अब जो बाप खुद बे नमाज़ी हो, वो नमाज़ के लिये बेटे के साथ कभी मार पीट कर सकता है? बेटा भी पलट कर कह सकता है कि आप क्यों नहीं पढ़ते?

नमाज़ के हवाले से नर्मी के साथ सख्ती की भी ज़रूरत है।

जहाँ आप अपने बच्चों को दूसरे कामों के लिये मजबूर करते हैं वहीं नमाज़ के लिये भी उन पर खास प्रेसर दें। उन्हें इसकी अहमिय्यत समझायें और पहले खुद भी अ़मल करें।

जारी है.......

आइये नमाज़ सीखें (पार्ट 3)

नमाज़ एक ऐसी इबादत है कि इस में नाइबत जारी नहीं हो सकती यानी आप किसी को अपना नाइब (Vice) नहीं बना सकते कि मेरे बदले में तुम पढ़ देना बल्कि जिस पर फर्ज़ है, उसे ही अदा करनी होगी।

अगर किसी ने अपनी ज़िन्दगी में कई नमाज़ें क़ज़ा की और इन्तिक़ाल कर गया और वसीयत की कि उस की तरफ़ से फिदया अदा किया जाये तो ये किया जा सकता है और इसे आगे तफ़सील से बयान करेंगे।

अब हम पहले नमाज़ के शराइत (Conditions) बयान करेंगे।

इन शराइत में से किसी एक में भी कमी हुई तो नमाज़ होना तो दूर की बात, नमाज़ शुरु'अ़ ही नहीं होगी।
ये ऐसी चीज़ें हैं कि अगर आप इन्हें पूरा करते हैं तो ही आप नमाज़ पढ़ने के क़ाबिल कहलायेंगे, वरना आप नमाज़ शुरु'अ़ ही नहीं कर सकते। फिर नमाज़ शुरु'अ़ हो जाने के बाद जो कंडीशन हैं (जिसे फराइज़े नमाज़) कहते हैं, वो अलग हैं।

नमाज़ की 6 शर्तें हैं :

(1) तहारत
(2) सित्रे औरत
(3) इस्तिक़्बाले क़िब्ला
(4) वक़्त
(5) निय्यत
(6) तकबीरे तहरीमा
अब इनकी तफ़सील बयान की जायेगी।

जारी है.......

आइये नमाज़ सीखें (पार्ट 4)

नमाज़ की पहली शर्त है तहारत यानी पाकी।
नमाज़ पढ़ने वाला, उस का जिस्म नजासतों से, उस के कपड़े और जिस जगह नमाज़ पढ़ रहा है, सब का पाक होना ज़रूरी है।

पाकी नापाकी के बहुत सारे मसाइल हैं, मस्लन हदसे अकबर क्या है? हदसे असगर क्या है? और इन के लिये कौन सी तहारत ज़रूरी है? फिर नजासते

खफीफ़ा और गलीज़ा का फर्क़ भी जानना ज़रूरी है कि एक दिरहम और एक चौथाई का क़द्रे माना होना समझ आ जाये।
अब हम नमाज़ की पहली शर्त यानी तहारत पर तफ़सील से कलाम करेंगे फिर दूसरी शर्त की तरफ़ बढ़ेंगे।
सब से पहले आसान लफ्ज़ों में जान लीजिये कि नापाकी दो तरह की होती है, एक को हदसे असगर और एक को हदसे अकबर कहते हैं।
इसे आप यूँ समझ लें कि एक छोटी नापाकी होती है जिसका हुक्म हल्का होता है और एक बड़ी नापाकी होती है जिसका हुक्म भारी होता है।
छोटी नापाकी से पाकी हासिल करने के लिये तहारते सुगरा यानी वुज़ू काम आता है और बड़ी नापाकी को दूर करने के लिये तहारते कुबरा यानी गुस्ल।
अगर छोटी नापाकी हुई तो छोटी तहारत से पाक होंगे और बड़ी नापाकी हुई तो बड़ी तहारत से पाक होंगे।

जारी है........

आइये नमाज़ सीखें (पार्ट 5)

तहारत के बारे में हम पूरी तफ़सील बयान करेंगे लेकिन उससे पहले कुछ इस्तिलाहात जान लें क्योंकि आगे इनका इस्तिमाल बहुत ज़्यादा होगा।
शरीअ़त में हर काम एक जैसा नहीं है बल्कि उसे कई हिस्सों में बाँटा गया है, सब का नाम अलग है और सब का हुक्म भी अलग है।
कुछ काम अच्छे हैं जिन्हें करने पर सवाब मिलता है और कुछ बुरे हैं जिनसे गुनाह मिलता है।

हर अच्छा काम आपस में बराबर नहीं है यानी किसी में कम नेकी है तो किसी में ज़्यादा और इसी तरह हर बुरा काम भी आपस में बराबर नहीं है किसी में कम गुनाह है तो किसी में ज़्यादा।

अच्छे काम 5 तरह के हैं। :

(1) फर्ज़

(2) वाजिब

(3) सुन्नते मुअक्कदा

(4) सुन्नते गैरे मुअक्कदा

(5) मुस्तहब

और बुरे काम भी पाँच हैं। :

(1) हराम

(2) मकरूहे तहरीमी

(3) इसा'अ़त

(4) मकरूहे तन्ज़ीही

(5) खिलाफे अवला और एक है "मुबाह" ये ना अच्छा है और ना बुरा यानी इस में सवाब भी नहीं और गुनाह भी नहीं।

जारी है.......

आइये नमाज़ सीखे पार्ट (6)

फर्ज़ : फर्ज़ उसे कहते हैं जो दलीले क़तई से साबित हो यानी ऐसी दलील जिस में कोई शुब्हा ना हो।

फर्ज़ को अदा करना बहुत ज़रूरी है, इस को तर्क करने वाला सख्त गुनाहगार और अज़ाबे जहन्नम का मुस्तहिक़ है और जो इसका इन्कार करे वो काफ़िर है।

वाजिब : वाजिब उसे कहते हैं जो दलीले ज़न्नी से साबित हो, इस का अदा करना भी ज़रूरी है और जो तर्क करे गुनाहगार है, इस का इन्कार करने वाला गुमराह है।

सुन्नते मुअक्कदा : जो काम हुज़ूर ﷺ ने हमेशा किया हो, अलबत्ता बयाने जवाज़ के लिये कभी तर्क भी किया हो, उसे सुन्नते मुअक्कदा कहते हैं। इस का अदा करना ज़रूरी है और कभी कभार छोड़ने वाले पर इताब और आदतन छोड़ना इस्तिहक़ाक़े अज़ाब है।

सुन्नते गैरे मुअक्कदा : वो जो शरीअ़त की नज़र में पसंदीदा हो लेकिन इसके छोड़ने पर कोई वईद भी नहीं।

इस का करना सवाब लेकिन छोड़ने वाला गुनाहगार नहीं अगर्चे आदतन हो, हाँ इस का तर्क शरीअ़त को ना पसंद है।

मुस्तहब : वो जो शरीअ़त की नज़र में पसंदीदा हो लेकिन इसे छोड़ना नापसंद भी ना हो।

अगर्चे हुज़ूर ﷺ ने किया हो या तरगीब दी हो या उलमा ने पसंद किया हो अगर्चे अहादीस में ज़िक्र ना हो, इस का करना सवाब है और ना करने पर मुत्लक़न कोई हुक्म नहीं।

मुबाह : जिस का करना या ना करना एक जैसा हो यानी ना सवाब ना गुनाह।

जारी है.......

आइये नमाज़ सीखें (पार्ट 7)

हराम : इस का एक बार भी करना गुनाहे कबीरा है, ये फर्ज़ के मुक़ाबिल है यानी जो फर्ज़ है उसे तर्क करना हराम और जो हराम है उस से बचना फर्ज़ है।
मकरूहे तहरीमी : ये वाजिब के मुक़ाबिल है, इस का करने वाला भी गुनाहगार है, इस का गुनाह हराम से कम है लेकिन चंद बार इस का करना गुनाहे कबीरा है।
इसा'अ़त : ये सुन्नते मुअक्कदा के मुक़ाबिल है, इस का करना सबबे इताब है यानी अल्लाह त'आला और उस के रसूल की नाराज़ी और आदतन करने पर अज़ाब।
मकरूहे तन्ज़ीही : ये सुन्नते गैरे मुअक्कदा के मुक़ाबिल है, इस का करना शरीअ़त में नापसंद है लेकिन गुनाह नहीं अगर्चे आदतन हो।
खिलाफे अवला : ये मुस्तहब के मुक़ाबिल है यानी इस का ना करना बेहतर था लेकिन किया तो कुछ नहीं।

जारी है......

आइये नमाज़ सीखें (पार्ट 8)

फर्ज़ का मुक़ाबिल (Opposite) हराम है, वाजिब का मकरूहे तहरीमी, सुन्नते मुअक्कदा का इसाअ़त, सुन्नते गैरे मुअक्कदा का मकरूहे तन्ज़ीही और मुस्तहब का खिलाफे अवला।
इसका ये मतलब भी है कि जो काम फर्ज़ है उसे छोड़ना हराम है और जो हराम है उस से बचना फर्ज़ है।

जो वाजिब है उस का तर्क मकरूहे तहरीमी है और जो मकरूहे तहरीमी है उस से बचना वाजिब है।

जो सुन्नते मुअक्कदा है उसे छोड़ना इसा'अ़त है और इसा'अ़त से बचना सुन्नते मुअक्कदा है।

जो सुन्नते गैरे मुअक्कदा है उसे छोड़ना मकरूहे तन्ज़ीही है और मकरूहे तन्ज़ीही से बचना सुन्नते ग़ैरे मुअक्कदा।

जो मुस्तहब है उस का उल्टा करना खिलाफे अवला है और खिलाफे अवला से बचना मुस्तहब है और आखिर में मुबाह है जिस का करना, ना करना एक जैसा है लेकिन कभी-कभी मुबाह अच्छी निय्यतों की वजह से मुस्तहब भी बन जाता है।

इनका ताल्लुक़ नमाज़ से इस तरह भी है कि नमाज़ में फर्ज़ छूट जाने पर नमाज़ दोहराना फर्ज़ है, वाजिब छूट जाने पर नमाज़ दोहराना वाजिब है, सुन्नत छूट जाने पर सुन्नत और मुस्तहब छूट जाने पर मुस्तहब।

जारी है.......

आइये नमाज़ सीखें (पार्ट 9)

अब जब आप ये इस्तिलाहात जान चुके तो फिर आते हैं नमाज़ की पहली शर्त तहारत की तरफ़।

तहारत नमाज़ के लिये इतनी ज़रूरी है कि बगैर इस के नमाज़ होगी ही नहीं। अगर कोई जान बूझ कर नापाकी की हालत में नमाज़ पढ़ता है तो इसे उलमा ने कुफ्र तक लिखा है यानी वो काफ़िर हो जायेगा क्योंकि उसने नमाज़ को हल्का जाना और इबादत की तौहीन की।

हुज़ूर ﷺ ने तहारत को नमाज़ की कुंजी बताया है। (मुस्नद अहमद) और तहारत को आधा ईमान कहा गया है। (तिर्मज़ी)

अगर तहारत कामिल ना हो तो नमाज़ पढ़ाने वाले इमाम को भी परेशानी होती है मतलब नमाज़ के दौरान उसे शुब्हा होता है और फिर दो रकाअ़त के बाद बैठने के बजाये इमाम खड़ा हो जाता है या सलाम फेरने के बजाये खड़ा होने लगता है, इस की एक वजह ये भी है कि मुक़्तदियों की तहारत कामिल नहीं होती।

ये तो तहारत कामिल ना होने की बात थी तो सोचिये कि जो नापाक हों उसका हुक्म कितना सख्त होगा?

तहारत दो तरह की हैं और नापाकी भी दो तरह की, एक है तहारते सुगरा और एक है तहारते कुब्रा और नापाकी में एक को कहते हैं हदसे असगर और एक को हदसे अकबर यानी एक छोटी और एक बड़ी नापाकी।

छोटी नापाकी के लिये छोटी तहारत और बड़ी नापाकी के लिये बड़ी तहारत।

अगर कोई पेशाब करे या हवा निकाल जाये तो ये नहीं कहा जायेगा कि उसे गुस्ल करना होगा क्योंकि गुस्ल तहारते कुब्रा है और पेशाब और हवा का निकलना हदसे असगर है तो हदसे असगर से पाक होने के लिये वुज़ू किया जायेगा क्योंकि ये तहारते सुगरा है।

इसी तरह अगर किसी ने अपनी बीवी से सोहबत की तो ये नहीं होगा कि वुज़ू कर के पाक हो जाये क्योंकि यहाँ तहारते कुब्रा की ज़रूरत है।

जारी है.......

आइये नमाज़ सीखें (पार्ट 10)

आसान लफ्ज़ों में ये समझिये कि पेशाब करने या हवा निकलने से भी इन्सान नापाक हो जाता है लेकिन ये नापाकी हदसे असगर होती है यानी छोटी वाली नापाकी और इसके लिये वुज़ू काफ़ी है।

मनी निकलने पर भी इंसान नापाक हो जाता है लेकिन ये नापाकी हदसे अकबर होती है यानी बड़ी नापाकी और इस से पाक होने के लिये गुस्ल की ज़रूरत होती है।

अब आप आसानी से समझ सकते हैं कि पेशाब करने या हवा निकलने से गुस्ल फ़र्ज़ नहीं होता क्योंकि ये हदसे असगर है।

आपको वही एप्लाई करना है जिस की ज़रूरत है।

कुछ लोगों के जिस्म से कुत्ता सट गया तो नहाना शुरू कर देते हैं, कीचड़ लग जाये तो समझते हैं कि नहाना होगा, पेशाब के क़तरे निकल गये तो समझते हैं कि गुस्ल फर्ज़ हो गया, सिर्फ़ मज़ी (मनी से पहले निकलने वाली चीज़) निकलने पर ये गुमान करते हैं कि गुस्ल फर्ज़ हो गया, हालाँकि ऐसा कुछ नहीं है।

गुस्ल कब फर्ज़ होता है और कब वुज़ू काफ़ी होता है ये हम तफ़सील से बयान करेंगे, आपको बस ये क़ाइदा याद रखना है कि छोटी नापाकी के लिये वुज़ू और बड़ी नापाकी के लिये गुस्ल।

अब छोटी नापाकी और बड़ी नापाकी कौन कौन सी हैं तो इसे हम आगे बयान करेंगे।

कुछ लोग ऐसी बातों को हदसे असगर समझते हैं, जिनका नापाकी से ताल्लुक़ ही नहीं मस्लन गाली देने से वुज़ू का टूट जाना, तम्बाखू खाने से वुज़ू का टूट जाना, जिस्म का छुपा हुआ हिस्सा दिख जाने से.....वग़ैरह।

ये सब हदस है ही नहीं तो इन से वुज़ू या गुस्ल पर फर्क़ पड़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता।
जारी है.......

आइये नमाज़ सीखें (पार्ट 11)

पहले बात करते हैं तहारते सुगरा (यानी वुज़ू) और हदसे असगर यानी वुज़ू के तोड़ने वाली चीज़ों के बारे में।
वुज़ू में 4 बातें फर्ज़ हैं यानी इन चारों का करना बहुत ज़रूरी है, अगर इन में से एक भी छूट जाये तो वुज़ू नहीं होगा।
(1) मुँह धोना।
(2) कोहनियों समेत दोनों हाथों का धोना।
(3) सर का मसहा करना।
(4) टखनों समेत दोनों पाऊँ को धोना।
इनकी तफ़सील जानने से पहले ये जान लीजिये कि धोना किसे कहते हैं?
किसी भी उज़्व (हिस्से, पार्ट) को धोने का ये मतलब है कि उस उज़्व के हर हिस्से पर कम से कम दो बूँद पानी बह जाये। अगर कोई हाथ भिगा कर चेहरे पर मल ले तो इसे धोना नहीं कहा जायेगा या कपड़ा भिगा कर मुँह पोछ ले तो भी धोना नहीं कहा जायेगा जब तक हर हिस्से पर कम से कम 2 बूँद पानी ना बह जाये तब तक वो उज़्व धुला हुआ क़रार नहीं दिया जायेगा।
भीग जाना, तेल की तरह पानी मल लेना या एक बूँद बह जाना अलग है और धो लेना अलग है।इस पर खास तवज्जोह देना ज़रूरी है कि बाज़ हिस्से ऐसे हैं कि अगर तवज्जोह ना दी जाये तो वहाँ सहीह से पानी नहीं पहुँचता और गुस्ल और वुज़ू नहीं होता और फिर पढ़ी गई नमाज़ें अकारत जाती हैं।

अब इन चारों फराइज़ की तफ़सील ये है कि :
(1) मुँह धोना : मुँह कहते हैं शुरु पेशानी (यानी जहाँ से बाल निकलते हैं वहाँ) से नीचे ठोड़ी तक, फिर चौड़ाई में एक कान की लौ से दूसरे तक। ये मुँह है यानी इसे धोना फर्ज़ है।
जारी है.......

आइये नमाज़ सीखें (पार्ट 12)

मुँह धोना एक बार फर्ज़ है यानी जहाँ से बाल उगते हैं वहाँ से नीचे के दाँत उगने की जगह तक और एक कान की लौ से दूसरे कान की लौ तक, ये मुँह की हद (Boundaries) हैं।
अब अगर कोई चंदला है यानी आधे सर के बाद बाल उगते हैं तो उस पर वहाँ तक धोना फर्ज़ नहीं बल्कि वहीं तक है जहाँ से आदतन (Normally) बाल उगते हैं और अगर किसी के ज़्यादा बाल उगते हैं यानी आदत से ज़्यादा हैं तो फिर जो ज़्यादा हैं उन की जड़ों तक धोना फर्ज़ है।

मूँछ, दाढ़ी और बिच्ची (जो बाल होंटों और ठोड़ी के बीच होते हैं) और भवें अगर घनी हो कि जिल्द (चमड़ा) नज़र ना आता हो तो चमड़े का धोना फर्ज़ नहीं बल्कि बालों को धोना फर्ज़ है और अगर बाल घने ना हों तो जिल्द का धोना भी फर्ज़ है।
अगर मूँछें घनी हों और बड़ी हों जो लबों (होंटों) को छुपा ले तो भी उन्हें हटा कर लबों को धोना फर्ज़ है।

दाढ़ी अगर घनी ना हो और जिल्द नज़र आती हो तो जिल्द का धोना फर्ज़ है और अगर दाढ़ी बड़ी और घनी है तो गले की तरफ नीचे दबाने के बाद जो बाल चेहरे के अंदर आते हैं उन का धोना फर्ज़ है यानी उन बालों को

धोना है जिल्द को नहीं और जो चेहरे से बाहर नीचे हों उनका धोना ज़रूरी नहीं।

अगर कहीं छोटे बाल और कहीं बड़े हों तो जहाँ छोटे हैं वहाँ जिल्द का और जहाँ बड़े हैं वहाँ बालों का धोना फर्ज़ है।

जारी है.......

आइये नमाज़ सीखें (पार्ट 13)

लबों (यानी होंटों) का वो हिस्सा जो आदतन (Normally) मुँह बन्द करने, चुप रहने पर दिखाई देता है उसे धोना फर्ज़ है, अगर किसी ने ज़्यादा बन्द कर लिया और उस पर पानी नहीं पहुँचा तो वुज़ू नहीं होगा (हाँ ये हो सकता है कि चेहरा धोते वक़्त ज़ोर से बन्द कर लिया हो जिसकी वजह से पानी नहीं पहुँचा लेकिन कुल्ली करते वक़्त पानी पहुँचा तो वुज़ू हो जायेगा) फिर भी एहतियात ज़रूरी है।

रुख्सार और कान के बीच की जगह जिसे कनपटी कहते हैं, इसे भी धोना फर्ज़ है।

औरतें ख्याल रखें कि नथ का सुराख अगर बन्द नहीं है तो उस में पानी बहाना फर्ज़ है और अगर तंग है तो पानी बहा कर नथ को हरकत दे (यानी हिलाये) वरना ज़रूरी नहीं।

आँख के अंदर पानी डाल कर धोना ज़रूरी नहीं है बल्कि नहीं धोना चाहिये कि इस से नुक़सान है और वुज़ू करते वक़्त बहुत ज़ोर से आँखों को मींच लेना भी नहीं चाहिये क्योंकि इस से मुम्किन है चेहरे का चमड़ा सिमट कर एक हिस्सा बना ले जिस पर पानी ना पहुँचे।

पलक का हर बाल धोना फर्ज़ है अगर इस में कोई सख्त चीज़ जमी हो तो उसे छुड़ाना ज़रूरी है।

आइये नमाज़ सीखें (पार्ट 14)

अब आते हैं वुज़ू के दूसरे फर्ज़ की तरफ़ यानी हाथ धोना।

हाथ में कोहनियाँ भी दाखिल हैं अगर कोहनियों से ले कर नाखून तक एक ज़र्रा भी कहीं धुलने से बाक़ी रह जाये तो वुज़ू नहीं होगा, लिहाज़ा एहतियात ज़रूरी है।

हाथ में गहने, छल्ले, कड़ा, कंगन, अँगूठी, चूड़ी वग़ैरह हों तो अगर इनके नीचे पानी नहीं जाता तो इसे उतार कर पानी बहाना फर्ज़ है वरना वुज़ू नहीं होगा और अगर हल्का ढीला है कि हिलाने से पानी चला जाता है तो हिलाना ज़रूरी है और अगर ज़्यादा ढीला है कि बगैर हिलाये पानी चला जाता है तो हिलाना भी ज़रूरी नहीं।

उंगलियों की घैया, करवटें और नाखूनों के अंदर के ऊपर वाला हिस्सा फिर कलाई के बाल और हर गोशे को धोना ज़रूरी है।

अगर किसी की पाँच से ज़्यादा उंगलियाँ हैं तो सबका धोना फर्ज़ है।

अगर एक काँधे से दो हाथ निकले हुये हों तो जो पूरा हो सिर्फ़ उसे धोना फ़र्ज़ है। और अगर उस दूसरे हाथ का वो हिस्सा भी इस में शामिल है जिसे वुज़ू में धोना फर्ज़ है तो उसे भी धोना फर्ज़ है और अलग है तो फर्ज़ नहीं बल्कि मुस्तहब है यानी बेहतर है।

इसके बाद अगला फर्ज़ है सर का मसहा करना।

पूरे सर का मसहा करना सुन्नते मुअक्कदा है और एक चौथाई (One Fourth, 1/4) यानी 25% सर का मसहा करना फर्ज़ है। आप के सर के चार हिस्से करने पर जो एक हिस्सा आता है उतना धोना फर्ज़ है वरना वुज़ू नहीं होगा।

जारी है.......

आइये नमाज़ सीखें (पार्ट 15)

सर का मसहा करने के लिये हाथों का तर होना ज़रूरी है अब वो तरी हाथ धोने से हो या अलग से तर किया जाये।
अगर हाथ की तरी से एक बार किसी हिस्से का मसहा कर लिया जाये तो फिर उस पर जो नमी बाक़ी रहती है वो दूसरे मसहा के लिये काफ़ी नहीं है लिहाज़ा अगर कोई हाथ की तरी से हाथ का मसहा कर लेता है तो सर के मसहा के लिये हाथ अलग से तर करना होगा।
हाथों को तर करने के लिये जो कुछ लोग तीन तीन बार दोनों चुल्लू में पानी ले कर कोहनियों की तरफ़ बहाते हैं, ये वुज़ू का हिस्सा नहीं है।
हाथ तर करना है तो बस धो लिया जाये, इस तरह करना मज़्कूर नहीं।
अगर सर पर बाल ना हो तो जिल्द की चौथाई का मसहा करना है और अगर बाल हैं तो बालों का और उन बालों का जो सर पर हैं, जो लटक रहे हैं उन पर करना काफ़ी नहीं।
जारी है.......

आइये नमाज़ सीखें (पार्ट 16)

इमामा, टोपी या दुपट्टे के ऊपर मसहा करना काफ़ी नहीं है।
अगर दुपट्टा या टोपी का कपड़ा ऐसा है कि पानी फूट कर अन्दर चला जाता है और सर को तर कर देता है तो मसहा हो जायेगा।
अब वुज़ू का चौथा फर्ज़ है पाऊँ का धोना:

पैरों को टखनों समेत अच्छी तरह धोना चाहिये ताकि कोई हिस्सा बाक़ी ना रहे अगर पैर में कोई छल्ला वग़ैरह हो तो वही हुक्म है जो पहले बयान किया गया यानी पानी अंदर नहीं जाता तो उतार कर धोना है, अगर हिलाने

से जाता है तो हरकत देना है और अगर ढीला है कि बगैर हरकत के चला जाता है तो हरकत ज़रूरी नहीं।
कुछ लोग पैर में काला धागा बांधते हैं जिसकी वजह या तो बीमारी होती है या फिर चोट से बचने के लिये तो अगर कसकर बंधा हुआ है तो उस पर भी तवज्जोह ज़रूरी है।
उंगलियों की करवटें, घैय्या, एड़ी, पुश्त वग़ैरह सब को धोना फर्ज़ है लिहाज़ा एहतियात ही ज़रूरी है वरना एक ज़र्रा बराबर भी सूखा रह जाने पर वुज़ू नहीं होगा।
जारी है.......

आइये नमाज़ सीखें (पार्ट 17)

जिन हिस्सों पर पानी बहाना फर्ज़ है वहाँ ज़रूरी नहीं कि क़स्दन ही बहे बल्कि बिला क़स्द बह जाने से भी वुज़ू हो जायेगा। इसे आसान लफ्ज़ों में यूँ समझें कि जान बूझ कर ही पानी बहाने से नहीं बल्कि अनजाने में भी पानी बह गया तो वुज़ू हो जायेगा।
मिसाल के तौर पर बारिश हुई और वुज़ू में धोये जाने वाले हिस्सों पर दो-दो बूँद पानी बह गया और एक चौथाई सर तर भीग गया तो वुज़ू हो गया अगरचे उसने वुज़ू करने की निय्यत नहीं की थी। अगर कोई तालाब में गिर गया और वो हिस्से भीग गये जो वुज़ू में धोना फर्ज़ हैं तो भी वुज़ू हो जायेगा।

इसी तरह अगर कोई शख्स मुँह हाथ धोने के लिये गया ताकि फ्रेश हो सके और वुज़ू के हिस्सों को धो लिया अगरचे आगे पीछे ही हो और सर पर हाथ भिगा कर फेर लिया तो भी वुज़ू हो जायेगा।

ऐसा इसीलिये है कि पानी ताहिर है यानी पानी की सिफत (Quality) है कि वो पाक करता है तो अब जान बूझ कर हो या अन्जाने में पानी पाक कर देता है जैसे आग की सिफत है जलाना तो जान बूझ कर आग में हाथ डालिये या अंजाने में हाथ तो जलना ही है।
ऐसा तो नहीं है कि आप ये कहेंगे कि मै निय्यत करता हूँ हाथ जलने की और फिर हाथ डालें तो ही हाथ जले।
जारी है.......

आइये नमाज़ सीखें (पार्ट 18)

आटा गूँदने वाले या वाली के हाथ में या कहीं नाखून में आटा जम जाये और सख्त हो जाये या पेंट का काम करने वालों के हाथों में रंग या पुट्टी या पेरिस या कोई और चीज़ जम जाये और सख्त हो जाये या लिखने वालों के हाथों में रौशनाई (इंक) लग जाये या मज़दूर के हाथ में गार, सीमेन्ट या वाइट सीमेन्ट वग़ैरह या आम लोगों की आँखों में सुरमा का जम जाना और इसी तरह बदन का मैल वग़ैरह होने के बावजूद अगर्चे उसके नीचे पानी ना जाये फिर भी वुज़ू हो जायेगा।
इसे फिर से समझें कि जिस चीज़ की आदमी को उमूमन या खुसूसन ज़रूरत पड़ती रहती है और उसकी निगेहदास्त और एह्तियात में हरज हो तो नाखूनों के अंदर, ऊपर या किसी धोने के हिस्से पर लगे रह जाने से वुज़ू हो जायेगा अगर्चे उसके नीचे पानी ना बहे।
ये इसीलिये है कि अगर ऐसा ना हो तो वुज़ू करने में बड़ी दुशवारी होगी।
एक पेन्ट का काम करने वाला अगर अपने हाथों से मुकम्मल तौर पर कलर, पुट्टी, पेरिस वग़ैरह छुड़ाना शुरु करे तो रगड़-रगड़ कर नमाज़ का वक़्त चला जायेगा!

आइये नमाज़ सीखें (पार्ट 19)

किसी जगह छाला था और वो सूख गया लेकिन चमड़ा जिस्म से जुदा नहीं हुआ तो उसे जुदा कर के पानी बहाना ज़रूरी नहीं है बल्कि उसी के ऊपर पानी बहा लेना काफ़ी है और फिर जुदा कर दिया तो उस पर पानी बहाना ज़रूरी है।

मछली का सिन्ना अगर चिपका रह जाये तो वुज़ू नहीं होगा क्योंकि पानी उसके नीचे नहीं बहता।

अब हम वुज़ू की सुन्नतें बयान करेंगे। ये सुन्नत है यानी करना चाहिये और इन्हें छोड़ना सहीह नहीं लेकिन अगर छूट जाये तो भी वुज़ू हो जायेगा।

वुज़ू में सुन्नतें :

(1) सवाब की निय्यत से और हुक़्मे इलाही बजा लाने की निय्यत से वुज़ू करना ज़रूरी है वरना वुज़ू तो हो जायेगा पर सवाब नहीं मिलेगा लिहाज़ा पहले निय्यत कर लें कि मै वुज़ू सवाब के लिये कर रहा हूँ और अल्लाह त'आला के हुक़्म की तामील कर रहा हूँ।

जारी है.......

आइये नमाज़ सीखें (पार्ट 20)

(2) बिस्मिल्लाह से वुज़ू को शुरू किया जाये और अगर वुज़ू से पहले इस्तिन्जा करे तो इस्तिन्जे से पहले भी बिस्मिल्लाह पढ़े लेकिन अगर बैतुल खला में दाखिल हो चुका है या कपड़े खोल चुका है तो फिर ज़िक्रे इलाही मना है।

(3) वुज़ू को शुरू यूँ करे पहले हाथों को गट्टों तक तीन बार धोयें।

(4) अगर पानी किसी बड़े बर्तन में हो और कोई छोटा बर्तन ना हो जिस से पानी निकल सके तो बायें हाथ की उंगलियाँ मिला कर सिर्फ़ उंगलियाँ

पानी में डाल कर पानी निकाले और दायें हाथ को गट्टों तक तीन मर्तबा धो ले फिर जहाँ तक दायें हाथ को धोया है वो पानी में डाल सकता है, अब पानी निकाल कर बायें हाथ को धोये।
ऐसा तब किया जा सकता है जब हाथ में कोई नजासत ना लगी हो, अगर नजासत लगी हो तो पूरा पानी नापाक हो जायेगा।
जारी है.......

आइये नमाज़ सीखें (पार्ट 21)

(5) अगर पानी बड़े बर्तन में है और छोटा बर्तन मौजूद है फिर भी हाथ पानी में डाला या उंगली या नाखून भी डाला तो पानी वुज़ू के क़ाबिल नहीं रहेगा वो माये मुस्तमिल हो जायेगा यानी उसे आप इस्तिमाल कर चुके हैं।
हम बता चुके हैं कि नापाकी दो तरह की होती है एक छोटी और एक बड़ी तो दोनों से पाक होने के लिये अलग अलग तहारत है, दोनों तहारत में पानी की ज़रूरत होती है और एक बार पानी से नापाकी दूर कर ली जाये तो वो पानी फिर इस्तिमाल के क़ाबिल नहीं रहता।
जो बे-वुज़ू हो और हाथ धुला हुआ ना हो तो वो अपना हाथ पानी में डालेगा तो ये पानी को मुस्तमिल कर देगा क्योंकि हदसे असगर (छोटी नापाकी) मौजूद हैं और जब छोटा बर्तन ना हो तो मजबूरी में डालने की इजाज़त दी गई है।

ठंड में जो लोग लोटे में पानी ले कर उस में उंगली डुबा कर देखते हैं कि पानी कितना गर्म है तो इस से पानी मुस्तमिल हो जाता है और वुज़ू के क़ाबिल नहीं रहता लिहाज़ा इस में एहतियात ज़रूरी है वैसे नल वग़ैरह लग जाने से ये सूरत पेश नहीं आती।

आइये नमाज़ सीखें (पार्ट 22)

(6) अगर किसी शख्स पर हदस है यानी वुज़ू या गुस्ल उस पर लाज़िम है और उसने हाथ धो कर पानी में हाथ डाला तो पानी मुस्तमिल नहीं होगा क्योंकि जितना हिस्सा धोया गया उस पर अब हदस ना रहा और जिस पर गुस्ल फर्ज़ नहीं सिर्फ़ बे-वुज़ू है तो अगर उसने कोहनियों तक हाथ धोये हैं तो पानी में बगल तक हाथ डाल सकता है क्योंकि अब उसके पूरे बाज़ू पर हदस बाक़ी ना रहा लेकिन जिस पर गुस्ल फर्ज़ है वो उतना ही हाथ डाले जितना धोया है क्योंकि उस के पूरे जिस्म पर हदस है।

(7) सो कर उठने के बाद हाथ धोने चाहिये। इस्तिन्जे से पहले भी और बाद में भी।

(8) कम से कम तीन तीन मर्तबा ऊपर नीचे, दायें बायें दाँतों पर मिस्वाक करें और हर बार मिस्वाक को धो ले। मिस्वाक ना बहुत सख्त हो ना बहुत नर्म मिस्वाक पीलू, ज़ैतून या नीम की कड़वी लकड़ी की होनी चाहिये। किसी मेवे या खुशबूदार दरख्त की ना हो, मिस्वाक का साइज़ एक बालिश्त होना चाहिये, उससे ज़्यादा रखना सहीह नहीं है और मोटाई इतनी होनी चाहिये जितनी मोटी सब से छोटी वाली उंगली होती है।

जब मिस्वाक इस्तिमाल के क़ाबिल ना रहे तो उसे दफ़न कर देना चाहिये या किसी ऐसी जगह रख देना चाहिये जहाँ उसकी तौहीन ना हो क्योंकि वो एक ऐसा आला है जिस से सुन्नत अदा की जाती है और नापाक जगह पर ना फेंकें क्योंकि पाक चीज़ को नापाक में मिलाना सहीह नहीं है, इसलिये इस्तिन्जे खाने में भी थूकने से मना किया गया है क्योंकि वहाँ नजासत है और थूक पाक है।

आइये नमाज़ सीखें (पार्ट 23)

(9) मिस्वाक दाहिने हाथ से करना चाहिये मिस्वाक इस तरह पकड़े कि सब से छोटी वाली उंगली मिस्वाक के नीचे और बीच की तीन उंगलियाँ मिस्वाक के ऊपर और अँगूठा सिरे पर नीचे हो और मुट्ठी ना बांधे।

(10) दाँतों की चौड़ाई में मिस्वाक करना चाहिये लम्बाई में नहीं और चित लेट कर मिस्वाक नहीं करना चाहिये।

(11) पहले दाहिनी जानिब ऊपर के दाँत मान्झें फिर बायीं तरफ़ ऊपर के फिर दायीं तरफ़ नीचे और फ़िर बायीं तरफ़ नीचे के।

(12) मिस्वाक करने से पहले उसे धो लेना चाहिये और मिस्वाक करने के बाद भी धो कर रखना चाहिये।
जहाँ भी रखें तो खड़ी कर के रखें और रेशे वाला हिस्सा यानी जिस तरफ़ से मिस्वाक करते हैं उसे ऊपर रखना चाहिये।
जारी है...........

आइये नमाज़ सीखें (पार्ट 24)

(13) अगर मिस्वाक ना हो तो उंगलियाँ या कोई ऐसा कपड़ा जो इस्तिमाल का नहीं है उसे दाँतों पर रगड़ लें और अगर दाँत नहीं हैं तो मसूड़ों पर कपड़ा या उंगली रगड़ लें।

(14) नमाज़ के लिये मिस्वाक सुन्नत नहीं है बल्कि वुज़ू के लिये है लिहाज़ा अगर कोई एक वुज़ू से चंद नमाज़ें पढ़ता है तो एक मिस्वाक काफ़ी है जो उसने वुज़ू बनाते वक़्त किया था। हर नमाज़ के लिये वुज़ू का मुतालिबा नहीं है।

(15) अगर मुँह में बदबू पैदा हो जाये तो उसे दूर करने के लिये मिस्वाक करना अलग सुन्नत है।

(16) फिर तीन चुल्लू पानी से तीन मर्तबा कुल्ली करे और हर पुर्जे को धोये और रोज़ेदार ना हो तो गरगरा भी करे।

(17) फिर तीन चुल्लू से तीन मर्तबा नाक में नर्म गोश्त तक पानी चढ़ाये और अगर रोज़ेदार ना हो तो जड़ तक पानी पहुँचाये और ये काम दाहिने हाथ से करे फ़िर बायें हाथ से नाक साफ करे।

जारी है.......

आइये नमाज़ सीखें (पार्ट 25)

(18) मुँह धोते वक़्त दाढ़ी का खिलाल किया जाये यानी गर्दन की तरफ से उंगलियाँ दाखिल की जायें और सामने की तरफ़ से निकाली जायें, अगर एहराम बांधे हुये हों तो ऐसा ना करें।

(19) हाथ पाऊँ की उंगलियों का खिलाल करें। पैर की उंगलियों का खिलाल हाथ की छोटी वाली उंगली से करें।
उंगलियों का खिलाल इस तरह करें कि दायें पैर की छोटी वाली उंगली से अँगूठे की तरफ़ आयें और बायें पैर में अँगूठे से छोटी वाली उंगली की तरफ़ जायें।

(20) जो हिस्से धोने के हैं उन्हें तीन मर्तबा धोयें और हर मर्तबा इस तरह धोयें कि कोई हिस्सा बाक़ी ना रहे वरना सुन्नत अदा ना होगी।
जारी है.......

आइये नमाज़ सीखें (पार्ट 26)

अगर कोई हिस्सा इस तरह धोया कि पहली मर्तबा में कुछ धुला फिर दूसरी बार में कुछ और फिर तीसरी बार में कुछ मुकम्मल हुआ तो ये एक ही बार धोना कहा जायेगा और वुज़ू हो जायेगा लेकिन सुन्नत अदा ना होगी।
मस्लन आपने चेहरा धोया और कोई हिस्सा बाक़ी रह गया फ़िर दूसरी बार और तीसरी बार धोने पर वो हिस्सा धुला तो ये एक बार चेहरा धोना ही गिना जायेगा।
तीन बार धोने का मतलब है कि हर बार मुकम्मल चेहरा धुल जाये वरना सुन्नत अदा ना होगी।
इस में चुल्लू की कोई गिनती नहीं है चाहे कितने ही चुल्लू पानी लेने पड़ें।
पूरे सर का एक बार मसह करना सुन्नत है और कानों का मसह करना भी।
जारी है.......

आइये नमाज़ सीखें (पार्ट 27)

तरतीब भी सुन्नत है यानी पहले चेहरा धोना फिर हाथ धोना फिर मसह करना फिर पैर धोना और अगर इसके खिलाफ़ हुआ तो सुन्नत के खिलाफ़ होगा।
मस्लन अगर कोई पहले पैर धोये फिर हाथ फिर मुँह और फिर सर का मसह करे तो भी वुज़ू हो जायेगा लेकिन ये खिलाफे सुन्नत है।
वुज़ू में जो सुन्नतें हैं उन को एक आध बार छोड़ दिया तो बुरा है और अगर आदत डाली तो गुनाह है।
दाढ़ी के जो बाल चेहरे के दाइरे से नीचे हैं इन का मसह सुन्नत है और धोना मुस्तहब है।

वुज़ू में ये भी सुन्नत है कि एक हिस्से के सूखने से पहले दूसरा हिस्सा धोया जाये।

जारी है.......

आइये नमाज़ सीखें (पार्ट 28)

अब हम वुज़ू के मुस्तहब्बात बयान करेंगे यानी इन का करना बेहतर है लेकिन छोड़ने पर कोई गुनाह नहीं है।

वुज़ू में ये बातें मुस्तहब हैं :

(1) दाहिनी जानिब से इब्तिदा करना यानी पहले दाँया हाथ और पैर धोना।

(2) रुख्सार को एक साथ धोना।

(3) दोनों कानों का मसह एक साथ करना।

(4) अगर एक हाथ हो तो मुँह धोने और,

(5) मसह करने में दाहिने से करें।

(6) उंगलियों की पुश्त से।

(7) गर्दन का मसह करना।

(8) वुज़ू करते वक़्त काबा रुख बैठना।

(9) ऊँची जगह वुज़ू करना।

(10) बैठ कर वुज़ू करना।

जारी है.......

आइये नमाज़ सीखें (पार्ट 29)

(11) वुज़ू का पानी पाक जगह गिराना मुस्तहब है।

(12) जिस्म के आज़ा (पाट्र्स) पर पानी बहाते वक़्त हाथ फेरना खास कर जाड़े के मौसम में।

(13) पहले तेल की तरह पानी मल लेना, खुसूसन जाड़े में।

(14) वुज़ू का पानी अपने हाथ से भरना।

(15) दूसरे वक़्त के लिये पानी भर कर छोड़ना।

(16) वुज़ू करने में बगैर ज़रूरत दूसरे से मदद ना लेना।

(17) अँगूठी को हरकत देना अगर ढीली हो और उस के नीचे पानी बह जाना मालूम हो और अगर तंग (Tight) हो कि पानी नहीं जाता तो फर्ज़ होगा।

(18) अगर उज़्र ना हो तो वक़्त से पहले वुज़ू कर लेना।

(19) वुज़ू इत्मिनान से करना चाहिये, जल्दी करना सहीह नहीं है।

(20) टपकने वाले क़तरों से कपड़े को बचाना।

जारी है.......

आइये नमाज़ सीखें (पार्ट 30)

(21) कानों का मसह करते वक़्त छोटी वाली उंगली (भीगी हुई) कान के सुराख में डालना मुस्तहब है।

(22) जो वुज़ू कामिल तौर पर करता हो उसे खास जगहों मस्लन टखनों, एड़ियों, घइयों और करवटों का ख्याल रखना मुस्तहब है और बे-ख्याली करने वालों पर फर्ज़ है।

(23) वुज़ू का बर्तन मिट्टी का हो।

(24) अगर तांबे वग़ैरह का बर्तन हो तो भी हर्ज नहीं पर क़लाई किया हुआ हो।

(25) अगर बर्तन लोटे की क़िस्म का है तो उसे बायें जानिब रखें।

(26) अगर बर्तन तश्त (प्लेट) की क़िस्म का है तो दायीं तरफ़ रखें।

(27) आफ्तबा (एक क़िस्म का लोटा) में दस्ता लगा हो तो दस्ते को तीन बार धो लें।

(28) ऐसे लोटे के दस्ते पर हाथ रखें, मुँह पर हाथ ना रखें।

(29) दाहिने हाथ से कुल्ली करना और नाक में पानी डालना।

(30) बायें हाथ से नाक साफ़ करना।

जारी है.......

आइये नमाज़ सीखें (पार्ट 31)

(31) बायें हाथ की छोटी वाली उंगली नाक के सुराख में डालना मुस्तहब है।

(32) पाऊँ को बायें हाथ से धोना।

(33) मुँह धोते वक़्त माथे के सिरे पर ऐसा फैला कर पानी बहाना कि ऊपर बालों का कुछ हिस्सा भी धुल जाये।

(34) दोनों हाथों से मुँह धोना।

(35) हाथ पाऊँ धोने में उंगलियों से शुरू करना।

(36) चेहरे के दायरे से थोड़ा बढ़ा कर पानी बहाना।

(37) हाथ पाऊँ धोते वक़्त भी थोड़ा बढ़ा कर ऊपर तक धोना।

(38) सर के मसह का मुस्तहब तरीक़ा ये है कि अँगूठे और कलिमे की उंगली के इलावा बाक़ी दोनों हाथों की तीन-तीन उंगलियों को मिला कर माथे के सिरे पर रखें और पीछे सर की गुद्दी तक ले जायें, इस में हथेलियों को सर से जुदा रखें।

(39) फिर कलिमे की उंगली के पेट से कान के अंदरूनी हिस्से का मसह करें।

(40) फिर अँगूठे के पेट से कान के पीछे मसह करें और उंगलियों की पुश्त से गर्दन का मसह करें।
जारी है.......

आइये नमाज़ सीखें (पार्ट 32)

(41) हर हिस्सा धो कर उस पर हाथ फेर देना चाहिये कि पानी के क़तरे ना टपकें और खास कर मस्जिद में जाते वक़्त क्योंकि मस्जिद में वुज़ू के क़तरे टपकाना मकरूहे तहरीमी है।
(42) बहुत भारी बर्तन से वुज़ू ना करें कि पानी ज़्यादा बहेगा और इसी तरह अगर कोई नल बहुत सख्त है तो उस से भी बचें खास कर कमज़ोर लोग वरना बन्द करने और खोलने में काफ़ी पानी बहेगा।
(43) ज़ुबान से कह लिया जाये कि वुज़ू करता हूँ।
(44) हर हिस्से के धोते वक़्त निय्यत का हाज़िर रहना।
(45) बिस्मिल्लाह कहना।
(46) दुरूद पढ़ना।
(47) ये पढ़ना :

اَشْھَدُ اَنْ لآَّ اِلٰہَ اِلاَّ اللہُ وَحْدَہٗ لَا شَرِیْکَ لَہٗ وَاَشْھَدُ اَنَّ سَیِّدَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُہٗ وَرَسُوْلُہٗ

(48) कुल्ली करते वक़्त ये पढ़ना :

اَللّٰھُمَّ اَعِنِّیْ عَلٰی تِلَاوَۃِ الْقُرْاٰنِ وَذِکْرِکَ وَشُکْرِکَ وَحُسْنِ عِبَادَتِکَ

(49) नाक में पानी डालते वक़्त ये पढ़ना :

اَللّٰھُمَّ اَرِحْنِیْ رَائِحَۃَ الْجَنَّۃِ وَلَا تُرِحْنِیْ رَائِحَۃَ النَّارِ

(50) मुँह धोते वक़्त ये पढ़ना :

اَللّٰھُمَّ بَیِّضْ وَجْھِیْ یَوْمَ تَبْیَضُّ وُجُوْہٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوْہٌ

आइये नमाज़ सीखें (पार्ट 33)

(51) दाहिना हाथ धोते वक़्त ये पढ़ना मुस्तहब है :

اَللّٰهُمَّ اَعْطِنِيْ كِتَابِيْ بِيَمِيْنِيْ وَحَاسِبْنِيْ حِسَابًا يَّسِيْرًا

(52) बायाँ हाथ धोते वक़्त ये पढ़ना :

اَللّٰهُمَّ لَا تُعْطِنِيْ كِتَابِيْ بِشِمَالِيْ وَلَا مِنْ وَّرَآءِ ظَهْرِيْ

(53) सर का मसह करते वक़्त ये पढ़ना :

اَللّٰهُمَّ اَظِلَّنِيْ تَحْتَ عَرْشِكَ يَوْمَ لَا ظِلَّ اِلَّا ظِلَّ عَرْشِكَ

(54) कानों का मसह करते वक़्त ये पढ़ना :

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِيْ مِنَ الَّذِيْنَ يَسْتَمِعُوْنَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُوْنَ اَحْسَنَهٗ

(55) गर्दन का मसह करते वक़्त ये पढ़ना :

اَللّٰهُمَّ اَعْتِقْ رَقَبَتِيْ مِنَ النَّارِ

(56) दाहिना पाऊँ धोते वक़्त ये पढ़ना :

اَللّٰهُمَّ ثَبِّتْ قَدَمِيْ عَلَى الصِّرَاطِ يَوْمَ تَزِلُّ الْاَقْدَامُ

(57) बायाँ पाऊँ धोते वक़्त ये पढ़ना :

اِجْعَلْ ذَنْبِيْ مَغْفُوْرًا وَسَعْيِيْ مَشْكُوْرًا وَ تِجَارَتِيْ لَنْ تَبُوْرَ

(58) या सब जगह दुरूद शरीफ़ ही पढ़ें और यही अफज़ल है।

(59) वुज़ू से फारिग होकर ये पढ़ें :

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِيْ مِنَ التَّوَّابِيْنَ وَاجْعَلْنِيْ مِنَ الْمُتَطَهِّرِيْنَ

(60) वुज़ू से बचा हुआ पानी खड़ा हो कर थोड़ा पी ले कि बीमारियों से शिफ़ा मिलती है।

जारी है.......

आइये नमाज़ सीखें (पार्ट 34)

(61) आसमान की तरफ मुँह करके ये पढ़ें :

سُبْحَانَکَ اللّٰھُمَّ وَبِحَمْدِکَ اَشْھَدُ اَنْ لَّا اِلٰہَ اِلَّا اَنْتَ اَسْتَغْفِرُکَ وَاَتُوْبُ اِلَیْکَ

और कलिमा -ए- शहादत और सूरह इन्ना अन्ज़लना पढ़ें।

(62) वुज़ू के आज़ा बगैर ज़रूरत के ना पोछें और अगर पोछें तो पूरा खुश्क ना कर दें बल्कि

(63) थोड़ी नर्मी बाक़ी रहने दें कि ये क़ियामत के दिन नेकियों में शुमार होगी।

(64) वुज़ू के बाद हाथ को ना झटकें कि ये शैतान का पंखा है।

(65) वुज़ू के बाद मियानी (पजामे की रुमाली) पर पानी छिड़क लें।

(66) अगर वुज़ू करने के बाद मकरुह वक़्त ना हो तो दो रकाअत नफ्ल पढ़ लें इसे तहयतुल वुज़ू कहते हैं।

सर का मसह करने का एक तरीक़ा तो हमने बयान किया कि अँगूठे और कलिमे की उँगली को छोड़ कर बाक़ी तीन उंगलियों को मिला लें और पेशानी के सिरे से पीछे सर की गुद्दी तक ले जायें फिर हथेली को सटा कर वापस ले आयें, एक तरीक़ा ये भी है कि हथेली और उंगलियों समेत सटा कर एक ही बार पीछे ले जायें, ये तरीक़ा औरतों के लिये आसान है कि बाल बड़े होने की वजह से पहले तरीक़े में परेशानी हो सकती है।

जारी है.......

आइये नमाज़ सीखें (पार्ट 35)

वुज़ू में कुछ बातें मकरूह हैं जिनसे बचना चाहिये, वो ये हैं :

(1) औरत के गुस्ल या वुज़ू से जो पानी बच जाता है उस से वुज़ू करना मकरूह है।

(2) वुज़ू के लिये नजिस जगह बैठना।

(3) नजिस जगह वुज़ू का पानी गिराना।

(4) मस्जिद के अन्दर वुज़ू करना (मगर जो जगह वुज़ू के लिये बनी हुई है वहाँ हरज नहीं)

(5) आज़ा -ए- वुज़ू से क़तरे लोटे वग़ैरह में टपकाना।

(6) पानी में रींठ या खंखार डालना (ये हौज़ के बारे मे है)

(7) क़िब्ला की तरफ़ थूकना या खंखार डालना या कुल्ली करना।

(8) बे-ज़रूरत दुनिया की बातें करना।

(9) ज़्यादा पानी खर्च करना।

(10) इतना कम खर्च करना कि सुन्नत अदा ना हो।

जारी है.......

आइये नमाज़ सीखें (पार्ट 36)

(11) मुँह पर पानी मारना मकरूह है।

(12) मुँह पर पानी बहाते वक़्त फूँकना मकरूह है।

(13) एक हाथ से मुँह धोना मकरूह है, ये हिन्दुओं का तरीक़ा है।

(14) गले का मसह करना मकरूह है।

(15) बायें हाथ से कुल्ली करना या नाक में पानी डालना।

(16) दाहिने हाथ से नाक साफ करना।

(17) अपने लिये कोई लोटा या नल खास कर लेना।
(18) तीन नये पानियों से तीन बार सर का मसह करना।
(19) जिस कपड़े से इस्तिन्जा का पानी सुखाया हो उस से वुज़ू के आज़ा को पोछ्ना।
(20) धूप के गर्म पानी से वुज़ू करना जबकि वो पानी सोने या चाँदी के इलावा किसी धात के बर्तन में गर्म हुआ हो और मौसम के साथ साथ इलाक़ा भी गर्म हो इस से बर्स की बीमारी का इह्तिमाल है।

जारी है.......

आइये नमाज़ सीखें (पार्ट 37)

वुज़ू ना हो तो नमाज़, नमाज़े जनाज़ा, सजदा -ए- तिलावत और क़ुरआन को छूने के लिये वुज़ू करना फ़र्ज़ है।
तवाफ़ के लिये वुज़ू करना वाजिब है।
गुस्ले जनाबत से पहले वुज़ू करना, जुनूब (नापाक) शख्स को खाने, पीने और सोने से पहले वुज़ू करना सुन्नत है।
अज़ान, इक़ामत, जुम्आ का खुत्बा, ईद का खुत्बा और रोज़ा -ए- रसूल ﷺ की ज़ियारत के लिये, वुक़ूफ -ए- अरफ़ा, सफ़ा व मरवा के दरमियान सई के लिये वुज़ू करना सुन्नत है।
सोने के लिये और सोकर उठने के बाद वुज़ू करना मुस्तहब है।
मय्यित के नहलाने या उठाने के बाद वुज़ू करना मुस्तहब है।
जिमा (सोहबत) से पहले और जब गुस्सा आये तो वुज़ू करना मुस्तहब है।

जारी है.......

आइये नमाज़ सीखें (पार्ट 38)

ज़ुबानी क़ुरआन पढ़ने के लिये, हदीस और इल्मे दीन पढ़ने और पढ़ाने के लिये,
जुम्आ व ईदैन के इलावा खुत्बों के लिये,
कुतुबे दीनिया छूने के लिये,
झूट बोलने, गाली देने और फहश बोलने के बाद,
काफ़िर का बदन छू जाने पर,
सलीब या बुत छू जाने पर,
कोढ़ी या सफ़ेद दाग वाले से मस करने पर,
बगल खुजाने से जब कि इस में बदबू हो,
गीबत करने, क़हक़हा लगाने, लग्व अशआर पढ़ने और ऊँट का गोश्त खाने के बाद,
किसी औरत के बदन से बे-हाइल मस हो जाने पर और बा वुज़ू शख्स के लिये नमाज़ पढ़ने के लिये वुज़ू करना मुस्तहब है।
जब वुज़ू टूट जाये तो वुज़ू कर लेना मुस्तहब है।
नाबालिग पर वुज़ू फ़र्ज़ नहीं लेकिन उन से करवाना चाहिये ताकि सीखें।

अगर लोटे से वुज़ू करें तो लोटे की टूँटी ना ज़्यादा तंग हो कि कम पानी गिरे ना ज़्यादा फराख हो कि पानी ज़्यादा गिरे बल्कि दरमियानी हो।
नल को भी इतना ही खोलें जितनी ज़रूरत है, ज़्यादा खोल कर पानी बहाना जाइज़ नहीं।

जारी है.......

आइये नमाज़ सीखें (पार्ट 39)

चुल्लू में पानी लेते वक़्त ख्याल रखें कि पानी बरबाद ना हो।

जो काम आधे चुल्लू पानी में हो सकता है उस के भर चुल्लू लेना सही नहीं है।

मस्लन नाक में पानी डालने के लिये आधा चुल्लू काफ़ी है तो भर कर लेना पानी को बरबाद करना होगा।

हाथ, पाऊँ सीना और पुश्त पर ज़्यादा बाल हों तो उसे क्रीम से साफ कर लें या तरशवा लें, इस से पानी कम खर्च होगा ज़्यादा बाल होने की वजह से पानी ज़्यादा खर्च होता है।

एक वल्हान नामी शैतान है जो वुज़ू में वसवसे डालता है तो इस से बचने के लिये ये काम करें :

रुजू इलल्लाह हों।

अऊज़ु बिल्लाह पढ़ें।

लाहौल पढ़ें।

सूरतुन नास पढ़ें।

आमन्तु बिल्लाहि व रसूलिही पढ़ें।

और ये पढ़ें :

سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْخَلَّاقِ اِنْ يَّشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيْدٍ لا وَمَا ذٰلِكَ عَلَى اللهِ بِعَزِيْزٍ

इन से वसवसा जड़ से कट जायेगा और वसवसे पर बिल्कुल ध्यान ना दें और इसका उल्टा करें, इस से भी वसवसा दूर हो जायेगा।

जारी है.......

आइये नमाज़ सीखें (पार्ट 40)

अब हम बयान करेंगे कि वुज़ू किन-किन बातों से टूट जाता है।

(1) पेशाब करने से।

(2) पखाना से।

(3) वदी के निकलने से (ये सफ़ेद क़तरे जो बीमारी की वजह से निकलते हैं।)

(4) मज़ी के निकलने से (ये पानी की तरह होता है और इस में चिपचिपा पन होता है, ये मनी के निकलने से पहले निकलता है, इस से इंसान नापाक नहीं होता बस वुज़ू टूट जाता है, कुछ लोग जब गन्दी तस्वीरें वग़ैरह देखते हैं या गंदे खयालात की वजह से ये निकल आता है, इसकी एक पहचान ये भी है कि ये सफ़ेद रंग का नहीं होता और इसके निकलने से शहवत खत्म नहीं होती बल्कि बढ़ जाती है यानी इसके खारिज होने से जुनून और शहवत कम नहीं होती और इसके बाद जो सफ़ेद पानी उछाल के साथ बाहर आता है जिस से इंसान सुस्त हो जाता है उसे मनी कहते हैं।)

(5) मनी के निकलने से (मनी कभी कभी मेहनत की वजह से निकल जाती है जिस में शहवत नहीं होती यानी बगैर लज़्ज़त (मज़े) के बाहर आ जाती है तो इस से भी इंसान नापाक नहीं होता बस वुज़ू टूट जाता है।)

(6) औरत के आगे के मक़ाम से जो रुतूबात (Liquid) खालिस बे आमेज़िशे खून निकलती है उस से वुज़ू नहीं टूटता और कपड़े में लग जाये तो कपड़ा भी पाक है।

जारी है.......

आइये नमाज़ सीखें (पार्ट 41)

(7) मर्द या औरत के पीछे के मक़ाम से हवा के निकलने से वुज़ू टूट जाता है।
(8) खून या पीप या ज़र्द पानी कहीं से निकल कर बहा और उस में ऐसी सलाहियत थी कि बह कर ऐसी जगह पहुँच जाये जिस जगह का गुस्ल या वुज़ू में धोना ज़रूरी है तो वुज़ू टूट जायेगा।
(9) कहीं सूई चुभ गयी और खून चमका यानी लाल नज़र आया पर बहा नहीं तो वुज़ू नहीं टूटेगा।
(10) मिस्वाक में खून दिखाई दिया या नाक में उंगली डाली तो खून की सुरखी दिखाई दी तो वुज़ू नहीं टूटेगा जब तक वो बहने के क़ाबिल ना हो।
(11) अगर बहा लेकिन ऐसी जगह नहीं आया जिस का वुज़ू या गुस्ल में धोना ज़रूरी है तो वुज़ू नहीं टूटेगा।
मस्लन आँख में दाना था और फूट कर आँख के अंदर ही बह गया बाहर ना आया या कान के अंदर दाना था और अंदर ही फूट कर बह गया बाहर ना आया तो वुज़ू बाक़ी है।
जारी है.......

आइये नमाज़ सीखें (पार्ट 42)

(12) अगर खून निकला और बहने से पहले पोंछ दिया फ़िर निकला और पोंछते रहा तो अगर ना पोंछने पर वो बह जाता तो वुज़ू टूट जायेगा।
इसी तरह मिट्टी या राख डाल कर सुखाता रहा और अगर ना डालता तो बह जाता तो वुज़ू टूट जायेगा।
(13) आँख, कान, नाफ़, पिस्तान वग़ैरह से जो पानी या आँसू बीमारी की वजह से निकले, वो वुज़ू तोड़ देगा।

(14) रोने से वुज़ू नहीं टूटता लेकिन जैसा कि बयान हुआ कि अगर आँखों में दर्द है और उसकी वजह से पानी निकलता है तो वुज़ू टूट जायेगा।

(15) मुँह से खून निकला, अगर थूक पर गालिब है यानी थूक का रंग लाल हो गया तो वुज़ू टूट जायेगा और अगर किसी ने थूक कर देखा ही नहीं बल्कि घूंट लिया तो लाल था या नहीं ये पता करने के लिये देखा जायेगा कि घूंटने में गले में नमकीनी महसूस हुई या नहीं अगर महसूस हुई तो वुज़ू टूट जायेगा वरना नहीं।

(16) नाक साफ की और जमा हुआ खून निकला तो वुज़ू नहीं टूटेगा।

जारी है.......

आइये नमाज़ सीखें (पार्ट 43)

(17) मुँह भर के उल्टी हुई तो वुज़ू टूट जायेगा।

मुँह भर का ये मतलब है कि उसे बे तकल्लुफ ना रोक सकता हो।

(18) बल्गम से वुज़ू नहीं टूटता चाहे जितना भी निकले।

(19) सोने से वुज़ू टूट जाता है लेकिन दो शर्तों के साथ

पहली ये कि दोनों सुरीन अच्छी तरह जमी हुई ना हों और दूसरी ये कि इस तरीक़े से ना सोया हुआ हो जो गाफ़िल हो कर सोने में माने हो यानी डिस्टर्ब करे मस्लन अकड़ू बैठ कर सोया या चित या पट या करवट पर लेट कर सोया या एक कोहनी से तकिये पर टेक लगा कर बैठा और सोया मगर एक करवट को झुका हुआ कि एक या दोनों सुरीन उठे हुये हैं या दो ज़ानू बैठा और पेट रानों पर रखा कि सुरीन ना जमे या चार ज़ानू है और सर रानों पर या पिंडलियों पर है जिस तरह औरतें सजदा करती हैं, इन तरीक़ों पर सोने से वुज़ू टूट जायेगा और अगर नमाज़ में इन सूरतों में से किसी पर जान बूझ कर सोता तो वुज़ू और नमाज़ दोनों गये और अगर अंजाने में

सोया तो वुज़ू गया मगर नमाज़ नहीं, वुज़ू कर के वहीं से पढ़े जहाँ सोया था और सिरे से पढ़ना बेहतर है।
जारी है.......

आइये नमाज़ सीखें (पार्ट 44)

(20) जब दोनों सुरीन ज़मीन पर या कुर्सी पर हैं और दोनों पाऊँ एक तरफ फैले हुये हैं या दोनों सुरीन पर बैठा और घुटने खड़े हैं और हाथ पिंडलियों पर मुहीत जो ख्वाह ज़मीन पर हो, दो ज़ानू सीधा बैठा हो या चार ज़ानू पालती मारे या खड़े खड़े सो गया या रुकू की सूरत पर या मर्दों के सजदा -ए- मस्नूना की शक्ल पर तो इन सब सूरतों में वुज़ू नहीं जायेगा और नमाज़ में अगर ये सूरतें पेश आयी तो ना वुज़ू जायेगा ना नमाज़, हाँ अगर पूरा रुख (Step) सोते ही में अदा किया तो उस का इआदा (दोहराना) ज़रूरी है।

हम पहले बयान कर चुके हैं सुरीन के ना जमे हुये होने के साथ साथ ये भी ज़रूरी है कि वो इस स्टाइल और पोज़ीशन पर सोया हो कि आराम से सो सके, कोई चीज़ डिस्टर्ब ना करे, कोई रुकावट ना हो मस्लन खड़े हो कर सोयेगा तो झपकी आते ही जाग जायेगा ताकि गिर ना जाये तो ऐसे में सोना माना ही नहीं जायेगा तो वुज़ू नहीं टूटेगा और जब ऐसी पोज़ीशन में सोयेगा कि आराम से गाफ़िल हो कर सो सकता है तो वुज़ू टूट जायेगा।

(21) अगर वुज़ू ना टूटने वाली शक्ल में सोया फिर नीन्द आने पर ऐसी शक्ल में आ गया जिस में वुज़ू टूट जाता है तो फौरन जाग कर उठ गया तो वुज़ू ना टूटेगा वरना जाता रहेगा।

जारी है.......

आइये नमाज़ सीखें (पार्ट 45)

(22) बीमार लेट कर नमाज़ पढ़ रहा था और नींद आ गयी तो वुज़ू टूट जायेगा।

(23) ऊँघने या बैठे बैठे झपकी लेने से वुज़ू नहीं टूटता।

(24) बेहोशी और जुनून से वुज़ू टूट जाता है।

(25) इतना नशा कि चलने में पाऊँ लड़खड़ाये वुज़ू तोड़ देता है।

(26) रुकू और सजदे वाली नमाज़ में क़हक़हा लगा कर हँसने से वुज़ू टूट जाता और नमाज़ भी फ़ासिद हो जाती है।

जारी है.......

आइये नमाज़ सीखें (पार्ट 46)

(27) अगर नमाज़ के अंदर सोते हुये हँसा तो वुज़ू नहीं जायेगा।
इसी तरह नमाज़े जनाज़ा में हँसने से भी वुज़ू नहीं जायेगा और ना सजदा -ए- तिलावत में हँसने से लेकिन नमाज़ और सजदा फ़ासिद है, इसे दुहराना होगा।

(28) अगर इतनी आवाज़ से हँसा कि खुद सुना और पास वालों ने नहीं सुना तो वुज़ू नहीं जायेगा लेकिन नमाज़ चली जायेगी।

(29) अगर मुस्कुराया जिस में सिर्फ़ दाँत निकले, आवाज़ बिल्कुल ना निकली तो इस से ना वुज़ू जायेगा ना नमाज़।

(30) आवाम में जो मशहूर है कि सतर खुलने से यानी घुटने से ऊपर दिख जाने से या किसी के सतर पर नज़र पड़ जाने से वुज़ू टूट जाता है ये गलत है इस से वुज़ू नहीं टूटता।

हाँ ये ज़रूर है कि सतर खुला रखना मना है और किसी दूसरे के सामने खोलना हराम है।

आइये नमाज़ सीखें (पार्ट 47)

(31) जो रुतूबात (Liquid) जिस्म से निकले और वुज़ू ना तोड़े तो वो नापाक नहीं मस्लन खून जो बहकर ना निकले पाक है और थोड़ी क़य (उल्टी) पाक है।

अगर खून बहकर निकले तो नजिस और भर मुँह उल्टी हो तो नजिस है।

(32) सोते हुये मुँह से जो राल गिरे वो चाहे जितनी हो पाक है, अगरचे बदबू आये लेकिन पाक है।

(33) मुर्दे के मुँह से जो पानी बहे वो नजिस है।

(34) दुखती आँख से जो पानी बहता है वो नापाक है और वुज़ू तोड़ देता है।

(35) दूध पीने वाले बच्चे ने दूध उल्टी की तो अगर मुँह भर है तो नापाक है और अगर ये दूध माद्दे (पेट) में नहीं गया था बल्कि सीने से ही लौट आया तो पाक है।

(36) वुज़ू के बीच में हवा निकल जाये तो फ़िर से वुज़ू करना होगा।

(37) चुल्लू में पानी था और हवा निकल गयी तो वो पानी भी अब काम का ना रहा।

जारी है.......

आइये नमाज़ सीखें (पार्ट 48)

(38) अगर वुज़ू के दरमियान किसी हिस्से को धोने पर शक हो तो अगर ये ज़िंदगी का पहला वाक़िया है तो उसे धो ले और अगर बार बार ऐसा होता

है कि वुज़ू में शक होता है तो ध्यान ना दे और अगर वुज़ू के बाद ऐसा लगता है तो इस पर तवज्जो ना दे।

(39) अगर किसी ने वुज़ू किया था और अब याद नहीं कि वुज़ू टूटा या नहीं तो वो वुज़ू में है, उसे नमाज़ के लिये वुज़ू करने की ज़रूरत नहीं लेकिन कर लेना बेहतर है जबकि उसे ये मालूम हो कि मै वुज़ू से हूँ और नया वुज़ू कर रहा हूँ और अगर उसे वसवसे की वजह से दुबारा वुज़ू करने का मन करता है तो ऐसा हरगिज़ ना करे क्योंकि ये एहतियात नहीं बल्कि शैतान की इता'अ़त है।

जब आपको वुज़ू का टूटना याद नहीं तो आप वुज़ू में हैं लिहाज़ा ज़रूरी नहीं कि वुज़ू करें।

(40) अगर किसी ने वुज़ू नहीं किया था और अब इसे शक है कि मैने किया या नहीं तो वो बे-वुज़ू है, वुज़ू करना ज़रूरी है।

(41) किसी को ये याद है कि वुज़ू करने के लिये बैठा था लेकिन वुज़ू किया या नहीं ये याद नहीं तो उसे वुज़ू करना ज़रूरी नहीं।

(42) ये याद है कि पखाना या पेशाब के लिये बैठा था लेकिन ये याद नहीं कि किया या नहीं तो उसे वुज़ू करना ज़रूरी है।

जारी है.......

आइये नमाज़ सीखें (पार्ट 49)

(43) किसी को ये याद है कि वुज़ू में कोई हिस्सा धोना भूल गया हूँ लेकिन मालूम नहीं कि कौन सा तो बाया पाऊँ धो ले।

(44) अगर मियानी पर तरी देखी और पता नहीं कि पानी है या पेशाब है तो अगर ये ज़िंदगी का पहला वाक़िया है तो वुज़ू कर ले और बार बार ऐसा होता है तो उस की तरफ़ ध्यान ना दे।

(45) नमाज़े जनाज़ा के लिये जो वुज़ू किया गया उस से फर्ज़ नमाज़ें भी पढ़ सकते हैं।
ये जो मशहूर है कि नहीं पढ़ सकते गलत है।
(46) जो पानी मुस्तमिल हो उस से वुज़ू या गुस्ल नहीं होता लिहाज़ा दोबारा करना ज़रूरी है।
ये वुज़ू के मसाइल थे और इनके अलावा और भी हैं जो आगे आयेंगे लेकिन अभी गुस्ल के मुताबिक़ बयान किया जायेगा।
जारी है.......

आइये नमाज़ सीखें (पार्ट 50)

गुस्ल में तीन फर्ज़ हैं यानी इन में से कोई एक भी छूट जाये तो गुस्ल नहीं होगा।

(1) कुल्ली करना : कुल्ली करने का ये मतलब नहीं कि मुँह में पानी लिया और उगल दिया बल्कि मुँह के अंदर हर पुरज़े को तर करना ज़रूरी है, ये कुल्ली फ़र्ज़ है लिहाज़ा अच्छी तरह तीन बार कुल्ली की जाये और अगर रोज़े से ना हो तो गरारा भी करें।

(2) नाक में पानी डालना : इस में भी खूब अच्छी तरह पानी डाला जाये कि अंदर नर्म हड्डी तक कोई जगह सूखी ना रह जाये।
पानी को सूंघ कर ऊपर चढ़ायें और कोई चीज़ जमी हुई हो तो उसे साफ कर लें।

(3) तमाम ज़ाहिरी बदन पर पानी बहाना :
सर के बाल से ले कर पाऊँ के नाखून तक का हर हिस्सा धुलना चाहिये।
कई जगहें ऐसी हैं कि अगर एहतियात ना की जाये तो गुस्ल नहीं होगा लिहाज़ा इस में ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है।

आइये नमाज़ सीखें (पार्ट 51)

सर के बाल अगर बड़े हों तो इसे धोने में ख्याल रखना ज़रूरी है कि कोई हिस्सा सूखा ना रह जाये।
औरतों के लिये भी जड़ तक पानी पहुँचाना ज़रूरी है और अगर चोटी ज़्यादा टाइट गुन्दी हुई है कि पानी ना पहुँचे तो खोल कर पहुँचाना ज़रूरी है।
नाक, कान वग़ैरह में ज़ेवर या हाथ में अँगूठी का वही हुक्म है जो वुज़ू के बाद में बयान किया गया यानी अगर ढीला है कि पानी चला जाता है तो हरकत देना ज़रूरी है कि पानी पहुँच जाये।
गुस्ल में दाढ़ी, भवें, पलकों के बाल सब का धोना और उस के नीचे चमड़े का धोना ज़रूरी है।
कान का हर पुर्ज़ा और इस के सुराख के मुँह तक पानी पहुँचाना चाहिये।
कानों के पीछे बाल हटा कर पानी पहुँचाना ज़रूरी है।
हाथ उठा कर बगलों को धोना ज़रूरी है।
बाज़ू और पीठ का हर पहलू अच्छी तरह धोना ज़रूरी है।
जारी है......

आइये नमाज़ सीखें (पार्ट 52)

पेट को धोना, नाफ़ में पानी पहुँचाना और जिस्म का हर रोंगटा जड़ से नोक तक धोना ज़रूरी है।
बैठ कर नहाने पर रान और जोड़ों पर अच्छी तरह पानी पहुँचाना ज़रूरी है।
खड़े होकर नहाने पर दोनों सुरीन के मिलने की जगह को धोना ज़रूरी है।
रानों की गोलियाँ, पिंडलियों की करवटें, शर्मगाह के वो हिस्से जो बगैर हरकत दिये नहीं धुलते और ऐसी तमाम जगहों को धोना ज़रूरी है।

औरतों के लिये पिस्तान और नीचे पेट को अच्छी तरह धोना ज़रूरी है। औरतों के लिये शर्मगाह को धोते वक़्त खास ख्याल रखना ज़रूरी है कि कोई हिस्सा सूखा ना रह जाये।
बाहरी हिस्से को अच्छी तरह धोने के बाद अंदरूनी हिस्से में उंगली डालकर धोना मुस्तहब है।
अगर हैज़ व निफ़ास से फारिग हो कर गुस्ल करती है तो किसी पुराने कपड़े से फर्जे दाखिल के अंदर से खून वग़ैरह का असर साफ़ कर लेना मुस्तहब है।
बाल में गिरह पड़ जाये तो उसे खोल कर पानी बहाना ज़रूरी है।

जारी है.......

आइये नमाज़ सीखें (पार्ट 53)

अगर जिस्म में कहीं पट्टी बंधी है और नहाना ज़रूरी हो और पट्टी खोलने से नुक़सान होगा तो पट्टी के ऊपर मसहा कर ले। बाक़ी बदन पर पानी बहाये लेकिन ख्याल रहे कि पट्टी ने हद से ज़्यादा जगह को ना ढक रहा हो हाँ अगर बाज़ू में एक तरफ़ ज़ख्म है और पट्टी बाँधने के लिये उसे पूरे बाज़ू को गोलाई पर घुमा कर बाँधा गया है तो अगर पट्टी खोलना मुम्किन हो तो खोल कर पानी बहाये और अगर खोलने में तकलीफ़ हो या खोलने के बाद वैसा नहीं बँध पायेगा जैसा बंधा हुआ था तो मसहा कर लेना काफ़ी है, ज़ख्म की वजह से वो सही हिस्सा भी माफ़ हो जायेगा।

अगर कोई हिस्सा है जहाँ पानी पहुँचाने से तकलीफ़ है तो उस पर भी मसहा काफ़ी है।

अगर जुकाम है या आँख से पानी बहता है या और कोई बीमारी है और मालूम है कि सर से नहाने पर तकलीफ़ बढ़ जायेगी तो कुल्ली करे, नाक में पानी डाले और सर को छोड़ कर गले से नीचे नहा ले और सर का अच्छी तरह मसहा कर ले गुस्ल हो जायेगा।
जारी है.......

आइये नमाज़ सीखें (पार्ट 54)
गुस्ल की सुन्नतें :

(1) गुस्ल की निय्यत करना।
(2) पहले दोनों हाथ तीन मर्तबा गट्टों तक धोना।
(3) इस्तिन्जे की जगह धोना, नजासत हो या ना हो।
(4) बदन पर जहाँ कहीं नजासत हो उसे दूर करना।
(5) नमाज़ की तरह वुज़ू करना और पाऊँ ना धोये, अगर ऊँची जगह बैठ कर नहाता है तो पाऊँ भी धो ले।
(6) बदन पर तेल की तरह पानी मलना खास कर जाड़े के मौसम में।
(7) तीन मर्तबा दाहिने काँधे पर पानी बहायें।
(8) फिर बायें पर तीन बार।
(9) सर पर और तमाम बदन पर तीन बार।
(10) गुस्ल की जगह से अलग हो जाना और फिर पाऊँ धोना।
जारी है.......

आइये नमाज़ सीखें (पार्ट 55)

(11) नहाते वक़्त क़िब्ला की तरफ़ मुँह कर के ना बैठें।

(12) तमाम बदन पर हाथ फेरना।

(13) तमाम बदन पर पानी मलना।

(14) ऐसी जगह नहायें जहाँ कोई ना देखे और अगर ऐसा ना हो तो नाफ़ से लेकर घुटनों तक छुपा कर नहायें।

(15) नहाते वक़्त किसी क़िस्म का कलाम ना करें।

(16) कोई दुआ ना पढ़ें।

कुछ मसाइल :

अगर गुस्ल खाने की छत ना हो या नंगे बदन नहाये तो कोई हर्ज नहीं बशर्ते कि एहतियात वाली जगह हो।

औरतों को पर्दे का खास ख्याल रखना चाहिये और औरतों के लिये बैठ कर नहाना बेहतर है।

जारी है.......

आइये नमाज़ सीखें (पार्ट 56)

अगर कोई बहते हुये पानी में नहाता है तो उस में थोड़ी देर ठहरने से तीन बार धोने, तरतीब और सारी सुन्नतें अदा हो जाती हैं, अलग से करने की ज़रूरत नहीं और अगर ठहरे हुये पानी में तालाब वग़ैरह में नहाता है तो तीन बार जिस्म को हरकत देने या तीन जगह बदलने से तीन बार धोने की सुन्नत अदा हो जायेगी।

अगर बहते पानी में वुज़ू किया तो बस थोड़ी देर तक आज़ा (पार्ट्स) को पानी में रखने से सुन्नत अदा हो जायेगी और अगर ठहरे पानी में किया तो हरकत देने से अदा हो जायेगी।

वुज़ू या गुस्ल करने के लिये छोटे या बड़े के लिये पानी की कोई मिक़्दार मुअय्यन नहीं है यानी फिक्स नहीं है कि इतने उम्र का आदमी इतने लीटर्स से नहायेगा और इतने उम्र का इतने लीटर्स से बल्कि जितने में अच्छी तरह फराइज़ो सुनन अदा हो जायें, उतना पानी ज़रूरी है।

जारी है.......

आइये नमाज़ सीखें (पार्ट 57)
गुस्ल किन चीज़ों से फ़र्ज़ होता है?

यानी इंसान कब नापाक होता है? कब नहाना फ़र्ज़ हो जाता है? इसे अच्छी तरह समझना ज़रूरी है क्योंकि बात-बात पर लोग समझते हैं कि वो नापाक हो गये और अब नहाना होगा फिर नमाज़ें क़ज़ा कर देते हैं।

(1) मनी का अपनी जगह से शहवत के साथ निकल कर उज़्व से निकलना गुस्ल को फ़र्ज़ कर देता है यानी मनी अगर शहवत के साथ (मज़े के साथ, जुनून के साथ) निकले यानी लज़्ज़त महसूस हो तो इससे गुस्ल फ़र्ज़ हो जायेगा।

(2) अगर शहवत के साथ ना निकले बल्कि बोझ उठाने की वजह से या मेहनत की वजह से निकल जाये तो गुस्ल फ़र्ज़ नहीं हाँ वुज़ू ज़रूर टूट जायेगा।

(3) अगर मनी अपनी जगह से शहवत के साथ चली और किसी ने अपने आले (आगे की शर्मगाह) को ज़ोर से पकड़ लिया या दबा दिया और मनी

ना निकली फिर जब शहवत चली गयी तो निकली, इस से भी गुस्ल फ़र्ज़ हो जायेगा क्योंकि मनी अपनी जगह से शहवत के साथ जुदा हुई थी।
जारी है.......

आइये नमाज़ सीखें (पार्ट 58)

(4) मनी के निकलने के बाद अगर ना सोया, ना पेशाब किया और ना 40 क़दम चला और नहा लिया और नमाज़ पढ़ ली फिर बाक़ी मनी निकली तो गुस्ल करे क्योंकि ये उसी मनी का हिस्सा माना जायेगा जो शहवत के साथ जुदा हुई थी और जो नमाज़ पढ़ी थी वो हो गयी, अब दोहराने की हाजत नहीं और अगर सोने, पेशाब करने या 40 क़दम चलने के बाद गुस्ल किया फिर मनी निकले तो ये पहली वाली का हिस्सा नहीं मानी जायेगी और गुस्ल करना ज़रूरी नहीं होगा।
(5) पेशाब के वक़्त अगर मनी निकल जाये तो गुस्ल वाजिब नहीं।
ऐसा मनी का पतला हो जाने से होता है इस से वुज़ू टूट जाता है।
(6) एहतिलाम हुआ तो इस की चंद सूरतें हैं :
(a) अगर सो कर उठा और कपड़े या बदन पर तरी पायी और मज़ी या मनी होने का यक़ीन है या शक़ है तो गुस्ल वाजिब हो जायेगा, चाहे ख्वाब देखना याद हो या ना हो।
(b) अगर यक़ीन है कि ये तरी ना मनी है ना मज़ी बल्कि पेशाब या पसीना या वदी है तो गुस्ल फ़र्ज़ नहीं होगा अगरचे ख्वाब याद हो।
(c) अगर यक़ीन है कि मनी नहीं लेकिन मज़ी होने पर शक है तो अब ख्वाब का एतबार होगा, अगर ख्वाब याद है तो गुस्ल फ़र्ज़ होगा वरना नहीं।

(d) अगर एहतिलाम होना याद है मगर कपड़े या बदन पर कोई असर नहीं तो गुस्ल फ़र्ज़ नहीं।

(e) अगर सोने से पहले आला (आगे की शर्मगाह) क़ाइम था यानी टुंडी की हालत में था (खड़ा था) चाहे वो गंदे खयालात या गंदी तस्वीरों या वीडियोज़ की वजह से हो और ऐसी हालत में सो गया और जागने पर असर देखा तो अब अगर गालिब गुमान है कि मनी नहीं बल्कि मज़ी पर ज़्यादा शक है और ख्वाब याद नहीं तो गुस्ल फ़र्ज़ नहीं होगा और अगर मनी होने का ज़्यादा शक है तो गुस्ल वाजिब है और अगर सोने से पहले टुंडी दब चुकी थी तो फिर पहली सूरत जो बयान हुई कि कपड़े या मनी होने का यक़ीन है या शक है तो गुस्ल वाजिब हो जायेगा, चाहे ख्वाब देखना याद हो या ना हो।

जारी है......

आइये नमाज़ सीखें (पार्ट 59)

एहतिलाम की सूरतें जो बयान की गई उस का खुलासा ये है कि दो सूरतों में गुस्ल फ़र्ज़ नहीं होगा पहली ये कि जो तरी दिख रही है उस के बारे में यक़ीन है कि मनी या मज़ी नहीं बल्कि कुछ और है और दूसरी ये कि ख्वाब याद है और कोई असर मौजूद नहीं।

एक सूरत में ख्वाब के एतबार से माना जायेगा कि गुस्ल फ़र्ज़ हुआ या नहीं और वो ये है कि मनी के ना होने पर यक़ीन है और मज़ी होने पर शक है तो ख्वाब याद है तो गुस्ल फ़र्ज़ है वरना नहीं।

एक सूरत ये है कि जब कोई नॉरमल हालत में नहीं सोया बल्कि खास हालत में सोया यानी उसका आला क़ाइम था (तुंडी की हालत में था तो

ऐसे में मस'अला थोड़ा अलग है और वो ये कि मज़ी पर ज़्यादा शक है और एहतिलाम याद नहीं तो गुस्ल फ़र्ज़ नहीं हालाँकि नॉरमल हालत में सोता तो मनी का शक होने से भी गुस्ल फ़र्ज़ हो जाता पर यहाँ मस'अला बदल जाता है और अगर ऐसी हालत में मनी पर ज़्यादा शक है तो गुस्ल फ़र्ज़ है। ये मसाइल कई लोग नहीं जानते और हमने आसान लफ्ज़ों में समझाने की पूरी कोशिश की है, अगर इसे दो तीन मरतबा गौर से पढ़ा जाये तो अच्छी तरह समझ में आ जायेगा।

जारी है.......

आइये नमाज़ सीखें (पार्ट 60)

(6) किसी को ख्वाब हुआ और मनी निकलने से पहले आँख खुल गई और अपने आले को पकड़ लिया जिस से मनी बाहर ना आयी फिर बाद में बाहर आयी तो गुस्ल फ़र्ज़ है।

(7) नमाज़ के अन्दर शहवत के साथ मनी निकलती हुई मालूम हुई लेकिन ना निकली और नमाज़ के बाद निकली तो गुस्ल फ़र्ज़ हो जायेगा और जो नमाज़ पढ़ी वो हो गयी।

(8) रात को एहतिलाम हुआ और जागा तो कपड़े पर कोई असर ना था फिर वुज़ू कर के नमाज़ पढ़ ली और उसके बाद मनी खारिज हुई तो गुस्ल फ़र्ज़ हो जायेगा और नमाज़ हो गयी।

(9) अगर औरत को ख्वाब आया तो जब तक मनी फ़र्ज़े दाखिल से बाहर ना आये गुस्ल फ़र्ज़ नहीं।

(10) लड़का एहतिलाम के साथ बालिग हुआ तो उस पर गुस्ल फ़र्ज़ है।

जारी है.......

आइये नमाज़ सीखें (पार्ट 61)

(11) हश्फ़ा औरत के आगे या पीछे के मक़ाम में दाखिल हो जाये तो दोनों पर गुस्ल फ़र्ज़ हो जाता है।
हश्फ़ा यानी ज़कर (मर्द के आले) का सर (आगे का हिस्सा) और सिर्फ़ दाखिल करने से ही गुस्ल फ़र्ज़ हो जायेगा चाहे शहवत हो या ना हो, मनी निकले या ना निकले।
इस में एक शर्त ये है कि मर्द औरत दोनों मुकल्लफ़ हों (यानी बालिग़ और आक़िल हों।)
अगर एक बालिग है और एक नाबालिग़ तो जो बालिग़ है उस पर गुस्ल फ़र्ज़ होगा और नाबालिग़ पर नहीं लेकिन नाबालिग़ को भी गुस्ल करने का हुक्म है।
अगर लड़का बालिग़ है और लड़की नाबालिग़ तो लड़के पर गुस्ल फ़र्ज़ होगा और लड़की बालिग़ है लड़का नाबालिग़ तो लड़की पर फ़र्ज़ होगा लेकिन गुस्ल का हुक्म सब को है।
(12) अगर औरत ने अपनी शर्मगाह में उंगली डाली या कोई और चीज़ डाली तो जब तक इंज़ाल ना हो यानी मनी ना निकले गुस्ल फ़र्ज़ नहीं होगा।
जारी है.......

आइये नमाज़ सीखें (पार्ट 62)

(13) अगर किसी जिन्न ने औरत से जिमा (Sex) किया, वैसे ये मस'अला बहुत कम पेश आता है लेकिन फिर भी इल्म में इज़ाफे के लिये बयान किया जा रहा है तो अगर वो जिन्न आदमी की शक्ल में आया तो हश्फ़ा

(सरे ज़कर) के गायिब होते ही गुस्ल फ़र्ज़ हो जायेगा और अगर आदमी की शक्ल में ना हो तो जब तक औरत को इंज़ाल ना हो गुस्ल फ़र्ज़ नहीं होगा।
(14) अगर किसी मर्द ने परी से जिमा किया और वो इंसानी शक्ल में नहीं थी तो जब तक इंज़ाल ना हो गुस्ल फ़र्ज़ नहीं होगा और अगर इंसानी शक्ल में है तो ज़कर का सर गायिब होने यानी अंदर दाखिल होने से गुस्ल फ़र्ज़ हो जायेगा।
(15) जिमा के बाद औरत ने गुस्ल किया फिर उसकी शर्मगाह से मर्द की बक़िया मनी निकली तो गुस्ल फ़र्ज़ नहीं होगा हाँ वुज़ू टूट जायेगा।
ये जो मसाइल बयान किये गये इन में गुस्ल फ़र्ज़ होने की तीन वुज़ूहात में हश्फ़ा का दाखिल होना, एहतिलाम होना, मनी का अपनी जगह से शहवत के साथ निकलना और इन तीनों से फ़र्ज़ होने वाले गुस्ल को गुस्ले जनाबत कहते हैं और इन वजह से नापाक होने वाले शख्स को जुनूब।

आइये नमाज़ सीखें (पार्ट 63)

(16) औरत हैज़ से फ़ारिग़ हुई, गुस्ल फ़र्ज़ हो जायेगा।
(17) निफ़ास के खत्म होने से भी गुस्ल फ़र्ज़ हो जायेगा।
हैज़ व निफ़ास की तफ़सील आगे बयान की जायेगी।
(18) जुम्आ, ईद, बक़र ईद के दिन और एहराम बांधते वक़्त नहाना सुन्नत है।
(19) गुस्ल इन मौक़ों पर मुस्तहब है :
वुक़ूफे अराफात,
वुक़ूफे मुज़्दलिफ़ा,
हाज़िरी -ए- हरम,
हाज़िरी -ए- सरकारे आज़म,

तवाफ़,
दुख़ूले मिना,
और कंकरिया मारने के लिये तीनों दिन,
शबे बराअत,
शबे क़द्र,
और अरफ़ा की रात,
मज्लिसे मीलाद,
और दीगर मजालिसे ख़ैर की हाज़िरी के लिये,
मुर्दा नहलाने के बाद,
मज्नून का जुनून जाने के बाद,
गसी के बाद,
नशा जाते रहने के बाद,
नया कपड़ा पहनने के बाद,
तौबा करने के बाद,
सफ़र से आने वाले के लिये,
इस्तिहाज़ा का खून बन्द होने के बाद,
नमाज़े कसूफो खुसूफ व इस्तिस्क़ा के लिये और खौफ़ व तारीकी और सख्त आँधी के लिये,
और बदन पर नजासत लगी हो पर मालूम ना हो कि कहाँ लगी है।
जारी है........

आइये नमाज़ सीखें (पार्ट 64)

(20) हज करने वाले पर दसवी ज़िलहिज्जा को पाँच गुस्ल हैं :

वुक़ूफे मुज़्दलिफ़ा
दुखूले मिना
जमरा पर कंकरियाँ मारना
दुखूले मक्का
और तवाफ़ जब कि तीन पिछली बातें भी दसवी को ही करे और अगर जुम्आ का दिन है तो गुस्ले जुम्आ भी।
यूँ ही अगर अरफ़ा या ईद जुम्आ के दिन पड़े तो यहाँ वालों पर दो गुस्ल होंगे।
(21) जिस पर चंद गुस्ल हों तो एक ही निय्यत से सब कर लिया, अदा हो गये और सब का सवाब मिलेगा।
अगर आप पर गुस्ल फ़र्ज़ हो गया और उसी दिन जुम्आ भी है तो आप पर दो गुस्ल हैं, एक तो गुस्ले जनाबत और दूसरा करने की ज़रूरत नहीं है बल्कि एक ही बार निय्यत कर लें तो सब अदा हो जायेंगे, ऐसा नहीं कि पहले गुस्ले जनाबत कर के उठें फिर जुम्आ का गुस्ल करने जायें और फिर आगे ईद भी उसी दिन हो तो ईद का गुस्ल भी करें।
(22) जुनूब ने जुम्आ के दिन गुस्ले जनाबत किया और जुम्आ या ईद वग़ैरह की निय्यत भी कर ली तो सब अदा हो जायेगा।
(23) औरत को अगर नहाने के लिये पानी मोल लेना पड़े तो उस की क़ीमत शौहर के जिम्मे है बशर्ते कि वुज़ू या गुस्ल वाजिब हो या बदन से मैल दूर करने के लिये नहाये।
जारी है.......

आइये नमाज़ सीखें (पार्ट 65)

जिस पर गुस्ल फ़र्ज़ है उसे चाहिये कि नहाने में देर ना करे।
सुनन अबू दाऊद की हदीस है कि जिस घर में जुनूब हो (यानी जिस पर गुस्ले जनाबत फ़र्ज़ हो) उस घर में रहमत के फिरिश्ते नहीं आते।
अगर नहाने में इतनी देर हो गयी कि नमाज़ का आखिर वक़्त आ चुका है तो नहाना फ़र्ज़ है, देर करने पर गुनाहगार होगा।
जो शख्स नापाक हो तो उसे खाना खाने के लिये वुज़ू कर लेना चाहिये।
इसी तरह बीवी से जिमा करने के लिये भी वुज़ू कर लें या हाथ मुँह धो लें और कुल्ली कर लें, अगर इसी तरह खा पी लिया तो गुनाह नहीं लेकिन मकरूह है और ये मुह्ताजी लाता है।
अगर बिना नहाये या बिना वुज़ू किये औरत से जिमा किया तो भी गुनाह नहीं लेकिन बेहतर कर लेना है और जिसे एहतिलाम हुआ हो वो बिना नहाये औरत के पास ना जाये।

आइये नमाज़ सीखें (पार्ट 66)

रमज़ान की रात में अगर जुनूब हुआ तो बेहतर यही है कि फ़ज्र से पहले नहा ले ताकि रोज़े का हर हिस्सा जनाबत (नापाकी) से खाली हो।
अगर पहले ना नहा सका और दिन निकल आया और नमाज़ क़ज़ा हो गयी तो इस से रोज़े पर फर्क़ नहीं पड़ेगा।
ऐसा करना रमज़ान के इलावा भी गुनाह है और रमज़ान में और ज़्यादा गुनाह है।
अगर फ़ज्र से पहले ना नहा सके तो गरगरा कर ले और नाक में पानी डाल ले, ये दो काम फ़ज्र से पहले कर ले फिर बाद में गुस्ल कर ले क्योंकि रोज़े

की हालत में ये दोनों सही से नहीं होंगे और गरगरा करते वक़्त पानी अन्दर जा सकता है।
जिस पर गुस्ल फ़र्ज़ हो उस का मस्जिद में जाना,
क़ुरआन शरीफ़ को छूना,
या बिना छुये देख कर या ज़ुबानी पढ़ना,
या आयात का लिखना,
या तवाफ़ करना,
या किसी ऐसी तावीज़ को छूना जिस में आयत लिखी हो,
या ऐसी अँगूठी छूना या पहनना, ये सब हराम है।
जारी है........

आइये नमाज़ सीखें (पार्ट 67)

अगर क़ुरआने करीम जुज़दान में हो तो जुज़दान को हाथ लगाने में हर्ज नहीं है।

किसी ऐसे कपड़े से भी क़ुरआन को पकड़ सकते हैं जो ना अपना ताबे हो ना क़ुरआन का यानी वो कपड़ा ना क़ुरआन के साथ मुन्सलिक हो ना अपने कपड़ों के साथ जैसे अगर कुर्ते का दामन या आस्तीन, दुपट्टा और चादर जिसका एक कोना काँधे पर हो और दूसरे से क़ुरआन पकड़े तो ये हराम है क्योंकि ये सब इसके ताबे हैं और क़ुरआन मजीद की चोली क़ुरआन के ताबे है लिहाज़ा किसी तीसरे कपड़े की मदद से पकड़ सकते हैं जैसे रुमाल वग़ैरह।

क़ुरआन की आयात को नापाकी की हालत में सना की निय्यत से पढ़ सकता है जैसे बिस्मिल्लाह पढ़ना और छींक आने पर अल्हम्दु लिल्लाह

पढ़ना और किसी के इंतिक़ाल पर इन्ना लिल्लाहि वग़ैरह पढ़ना, इन में हर्ज नहीं लेकिन तिलावत की निय्यत से नहीं पढ़ सकता।
यूँ ही क़ुल का लफ्ज़ हटा कर सूरतुल इखलास वग़ैरह पढ़ सकता है जबकि सना की निय्यत हो और क़ुल के लफ्ज़ के साथ नहीं पढ़ सकता अगरचे निय्यत सना की हो क्योंकि अब क़ुरआन होना मुतअय्यन है।
जारी है.......

आइये नमाज़ सीखें (पार्ट 68)

बे वुज़ू शख्स का क़ुरआने मजीद या किसी आयत का छूना हराम है, ज़ुबानी याद हो तो पढ़ सकता है।
अगर रुपये पर आयत लिखी हो तो, नापाक और बे-वुज़ू शख्स का उसे छूना हराम है। अगर थैली में हो तो थैली छूना जाइज़ है।
जिस बर्तन पर आयत लिखी हो उस का भी छूना जुनूब और बे-वुज़ू को हराम है। और ऐसे बर्तन का इस्तिमाल सब को मकरूह है, जबकि खास बा निय्यते शिफ़ा हो।
क़ुरआन का तर्जुमा फारसी, उर्दू या किसी और ज़ुबान में हो तो उसे छूने और पढ़ने में क़ुरआने मजीद जैसा ही हुक्म है।
अगर नापाक शख्स क़ुरआन की तरफ़ देखे तो कोई हर्ज नहीं अगरचे हुरूफ़ मालूम होते हों अगरचे मन में पढ़ता हो।
जारी है.......

आइये नमाज़ सीखें (पार्ट 69)

नापाक, बे-वुज़ू और हैज़ व निफ़ास वाली औरत को तफ़सीर, फिक़्ह और हदीस की किताब को छूना मकरूह है और इन किताबों में जहाँ आयत लिखी हो उसे छूना हराम है।

इन सब को (यानी, नापाक, बे-वुज़ू....)
तौरात, ज़बूर और इन्जील को पढ़ना छूना मकरुह है।
इन सब को दुरूद और दुआयें पढ़ने के लिये वुज़ू या कम से कम कुल्ली कर लेना बेहतर है अगर ना करे तो भी हर्ज नहीं।
इन सब को अज़ान का जवाब देना जाइज़ है।
क़ुरआन शरीफ़ के कागज़ वग़ैरह पुराने हो जायें कि पढ़ने के क़ाबिल ना रहें तो कफ़ना कर किसी ऐसी जगह दफ़न कर दें जहाँ किसी के पाऊँ पड़ने का एहतिमाल ना हो।
काफ़िर को क़ुरआने करीम ना दिया जाये और मुत्लक़न हुरूफ़ को उस से बचायें।
जारी है.......

आइये नमाज़ सीखें (पार्ट 70)

अगर घर में किताबें हों तो क़ुरआन को तमाम किताबों के ऊपर रखना चाहिये। उसके नीचे तफ़सीर की किताबें फिर हदीस की और फिर दूसरी दीनी किताबें मर्तबे के मुताबिक़ रखें।

किताब के ऊपर कोई चीज़ ना रखी जाये चाहे क़लम दवात ही हो हत्ता कि वो सन्दूक़ जिस में किताब हो उसके ऊपर भी कोई चीज़ ना रखी जाये।

मसाइल या दीनियत के अवराक़ (पन्नों) से पुड़िया बांधना या जिस दस्तर ख्वान पर अशआर वग़ैरह लिखें हो उसे काम में लाना या बिछौने पर कुछ लिखा हो उसे इस्तिमाल करना मना है।

अब हम पानी के बारे में ज़रूरी मसाइल बयान करेंगे कि किस पानी से वुज़ू और गुस्ल जाइज़ है और किस से नहीं।
ये जान लें कि जिस पानी से वुज़ू जाइज़ होगा उस से गुस्ल भी जाइज़ होगा और जिस से वुज़ू जाइज़ नहीं तो गुस्ल भी जाइज़ नहीं।
जारी है.......

आइये नमाज़ सीखें (पार्ट 71)

बारिश का पानी, नदी का, नाले, चश्मे, दरिया, समुंदर, कुँए और बर्फ़, ओले के पानी से वुज़ू हो जायेगा।
पानी में कोई चीज़ मिल गई जिससे उस का नाम बदल गया मस्लन नीम्बू, चीनी या पॉवडर वग़ैरह डाला जिसे अब शरबत कहा जाये तो उस से वुज़ू जाइज़ नहीं।
पानी में कोई ऐसी चीज़ डाली जिससे मक़सद मैल काटना नहीं (यानी प्यूरीफाय करना) तो उस पानी से वुज़ू जाइज़ नहीं जैसे चाय, शोरबा (सीरवा), गुलाब और अर्क़ वग़ैरह।
अगर पानी में कोई ऐसी चीज़ डाल कर पकाई जिससे मक़सद मैल काटना था जैसे बेरी के पत्ते वग़ैरह तो वुज़ू जाइज़ है और अगर पानी की रिक़्क़त (यानी पतलापन) खत्म हो गया और पानी सत्तू की तरह गाढ़ा हो गया तो वुज़ू जाइज़ नहीं।
जारी है.......

आइये नमाज़ सीखें (पार्ट 72)

अगर पानी में कोई ऐसी चीज़ मिल जाये जिस से पानी का पतलापन ना गया हो जैसे चूना, रेता या थोड़ी ज़ाफ़रान तो इस से वुज़ू जाइज़ है।

अगर दूध मिल गया तो अगर पानी ज़्यादा था, दूध थोड़ा सा था कि पानी पर गालिब ना आ सका तो वुज़ू जाइज़ है वरना नहीं।

बहता पानी कि अगर तिनका डाले तो बहा ले जाये, पाक है और पाक करने वाला है और नजासत पड़ने से भी नापाक ना होगा जब तक कि पानी का रंग, बू (Smell) और मज़ा (Taste) ना बदल जाये।

अगर बहते पानी में इतनी नजासत है कि पानी का रंग, बू या मज़ा बदल गया तो पानी नापाक है।

अब ये पाक तब होगा जब नजासत तह में चली जाये और पानी के अवसाफ़ ठीक हो जायें यानी रंग, बू और मज़ा अपनी हालत में आ जाये।

बारिश में छत का पानी जो परनाले से गिरता है वो पाक है अगरचे छत पर नजासत पड़ी हो।

जब तक नजासत से पानी में तगय्युर ना आ जाये पाक है।

जारी है......

आइये नमाज़ सीखें (पार्ट 73)

छत पर नजासत है और बारिश हो रही है तो परनाले से गिरने वाला पानी नापाक नहीं लेकिन बारिश रुक जाने पर वो जमा हुआ पानी नापाक हो जायेगा।

बरसात में नालियों में बहने वाला पानी पाक है जब तक कि नजासत से उस का रंग, बू या मज़ा बदल ना जाये।

नाली का बहता पानी बारिश के बाद ठहर गया और नजासत दिखे तो वो नापाक है।

दस हाथ लम्बा और दस हाथ चौड़ा जो हौज़ हो उसे दह दर दह कहते हैं, ऐसे हौज़ में नजासत भी पड़ जाये तो पानी नापाक नहीं होगा जब तक कि रंग बू या मज़ा ना बदल जाये।

लम्बाई और चौड़ाई 100 हाथ होनी चाहिये।

20 हाथ लम्बा 5 हाथ चौड़ा भी (20x5)

दह दर दह कहलायेगा।

इसी तरह 25 हाथ लम्बा 4 हाथ चौड़ा (25x4) भी 100 हाथ हो जायेगा यानी एरिया 100 हाथ होना चाहिये।

जारी है........

आइये नमाज़ सीखें (पार्ट 74)

हौज़ अगर दह दर दह है यानी जिस की लम्बाई और चौड़ाई को ज़र्ब देने (गुना करने) पर 100 हाथ तक़रीबन (225 स्क़्वेयर फीट) हो जाये वो बड़ा हौज़ कहलाता है और ये बहते पानी के हुक्म में है यानी नजासत पड़ने से नापाक नहीं होगा जब तक कि नजासत से पानी का रंग, बू या मज़ा बदल ना जाये।

अगर हौज़ गोल है तो गोलाई साढ़े 35 हाथ होनी चाहिये।

ये भी जान लें कि हौज़ के बड़ा होने का मतलब सिर्फ हौज़ का बड़ा होना नहीं बल्कि उस में मौजूद पानी को देखा जायेगा यानी पानी की बलाई (ऊपरी) सतह को देखेंगे कि वो सौ हाथ है या नहीं अगर हौज़ सौ हाथ है और पानी कम है तो वो दह दर दह नहीं। पानी की गहराई इतनी होनी चाहिये कि बीच में कहीं से ज़मीन खुली हुई ना हो वरना ज़मीन खुल जाने पर पानी सौ हाथ से कम हो जायेगा और दह दर दह ना रहेगा।

बड़े हौज़ में अगरचे नजासत पड़ने से पानी नापाक नहीं होगा लेकिन जान बूझ कर उस में नजासत डालना मना है।
जारी है.......

आइये नमाज़ सीखें (पार्ट 75)

बड़े हौज़ पर कई लोग जमा हो कर वुज़ू करें और पानी उस हौज़ में गिरायें तो कोई हर्ज नहीं लेकिन उस में कुल्ली करना या नाक साफ़ नहीं करना चाहिये, हौज़ से बाहर करें कि लोग इस से घिन करते हैं।
गुस्ल करते वक़्त जो पानी जिस्म से गिरता है वो पाक है लेकिन उस से गुस्ल और वुज़ू जाइज़ नहीं।
अगर पानी में (जो दह दर दह से कम हो) कोई बे वुज़ू शख़्स बिना धोये अपने जिस्म के किसी ऐसे हिस्से को पानी में डाल दे जो वुज़ू में धोया जाता है तो पानी वुज़ू और गुस्ल के लायक़ नहीं रहेगा।
जिस पर गुस्ल फ़र्ज़ है उस के जिस्म का कोई भी हिस्सा पानी में पड़ गया तो पानी वुज़ू और गुस्ल के क़ाबिल ना रहा।
अगर धुला हुआ हिस्सा पड़े तो हर्ज नहीं।
अगर हाथ धुला हुआ है लेकिन फिर से धोने की निय्यत से डाला और ये धोना सवाब का काम है जैसे खाना खाने के लिये या वुज़ू के लिये तो पानी मुस्तमल हो जायेगा और अब वो वुज़ू के लाइक़ ना रहा।
अगर ज़रूरत के तहत डाला तो पानी मुस्तमल नहीं होगा मस्लन बड़ा बर्तन है कि झुका नहीं सकता और छोटा बर्तन नहीं तो डाल सकता है और इसका तरीक़ा वुज़ू के बयान में बता दिया गया है।

जारी है.......

आइये नमाज़ सीखें (पार्ट 76)

अगर मुस्तमल पानी अच्छे पानी में मिल जाये जैसे नहाते वक़्त अगर छीन्टे पड़ जायें तो अगर अच्छा पानी ज़्यादा है तो वो वुज़ू और गुस्ल के लाइक़ रहेगा वरना नहीं।

जिस बर्तन से नहा रहे हैं उस में 10 लीटर पानी है और कुछ क़तरे नहाते वक़्त उस में पड़ जायें तो पानी मुस्तमल नहीं होगा और अगर किसी तरह अच्छे पानी में उस से ज़्यादा मुस्तमल पानी मिल गया तो वो पानी वुज़ू और गुस्ल के लाइक़ ना रहेगा।

अगर पानी में हाथ पड़ गया और वो मुस्तमल हो गया, अब अगर उसे अच्छा बनाना है ताकि वुज़ू और गुस्ल के काम आ सके तो उस में से ज़्यादा पानी मिला देने से पाक हो जायेगा यानी अगर 5 लीटर पानी मुस्तमल था तो 5 लीटर से ज़्यादा अच्छा पानी मिला देने से वो काम का हो जायेगा।

एक तरीक़ा ये है कि मुस्तमल पानी में अच्छा पानी डालता रहे हत्ता कि बर्तन भर कर बहने लगे तो वो पानी काम का हो जायेगा, और यूँ ही नापाक को भी पाक कर सकते हैं।

जारी है.......

आइये नमाज़ सीखें (पार्ट 77)

एक टंकी है जिस की केपेसिटी 1000 लीटर है और उस में 50 लीटर पानी है जो मुस्तमल हो गया है तो उसे पाक करने के लिये ये नहीं करेंगे कि एक तरफ से अच्छा पानी डालते रहेंगे ताकि भर कर बहने लगे क्योंकि इस में 950 लीटर से ज़्यादा पानी लाना पड़ेगा बल्कि यहाँ पहले वाला तरीक़ा

अपनाया जायेगा कि 50 लीटर है तो 51 लीटर अच्छा पानी डाल दिया जाये।
अगर टंकी में 900 लीटर पानी है और मुस्तमल हो गया तो अब उसे पाक करने के लिये 901 लीटर पानी नहीं डालेंगे बल्कि दूसरा तरीक़ा अपनायेंगे यानी 100 लीटर से कुछ ज़्यादा डालेंगे ताकि भर कर बहने लगे।
किसी दरख्त या फ़ल से निचोड़े गये पानी से वुज़ू जाइज़ नहीं।
जो पानी गर्म मुल्क में, गर्म मौसम में सोने चाँदी के इलावा किसी और धात के बर्तन में गर्म हुआ हो तो वो जब तक ठंडा ना हो जाये उस से वुज़ू और गुस्ल नहीं करना चाहिये और ना तो उस को पीना चाहिये, किसी भी तरह से बदन तक नहीं पहुँचाना चाहिये।
जारी है.......

आइये नमाज़ सीखें (पार्ट 78)

छोटे छोटे गढ़ों में पानी जमा हुआ हो और नजासत होने का मालूम ना हो तो उस से वुज़ू जाइज़ है।

अगर कोई काफ़िर कहे कि ये पानी नापाक है तो उसकी बात नहीं मानी जायेगी, पानी पाक ही है (वो अपनी असली हालत में माना जायेगा।)

नाबालिग का भरा हुआ पानी उसकी मिल्क हो जाता है (यानी उस की प्रॉपर्टी में दाखिल हो जाता है) लिहाज़ा उसे उसके माँ बाप के इलावा किसी के लिये इस्तिमाल में लाना जाइज़ नहीं अगर्चे वो इजाज़त दे दे क्योंकि नाबालिग अपनी प्रॉपर्टी से कोई चीज़ दूसरे को नहीं दे सकता। अगर किसी ने ऐसे पानी से वुज़ू कर लिया तो हो जायेगा पर गुनाहगार होगा।

हज़रते अल्लामा मुफ्ती अमजद अ़ली आज़मी लिखते हैं कि इस मस'अले में मुअल्लिमीन (पढ़ाने वालों) को सबक़ लेना चाहिये कि अक्सर वो नाबालिग बच्चों से पानी भरवा कर काम में इस्तिमाल करते हैं, ये जाइज़ नहीं।

अगर किसी बालिग ने पानी भरा है तो उसकी इजाज़त के बिना इस्तिमाल करना हराम है।

जारी है........

आइये नमाज़ सीखें (पार्ट 79)

जो पानी नापाक हो उसे अपने इस्तिमाल में लाना जाइज़ नहीं और जानवरों को पिलाना भी जाइज़ नहीं।

ऐसे पानी से गारा (दीवार खड़ी करने के लिये मसाला वग़ैरह) बनाने के काम में ला सकता है।

पानी को अगर कोई इंसान झूटा कर दे तो वो नापाक नहीं होता अगर्चे आदमी नापाक हो या हैज़ो निफ़ास वाली औरत हो या काफ़िर हो सब का झूटा पाक है।

काफ़िर का झूटा पाक है पर उससे बचना चाहिये और उस से नफ़रत करनी चाहिये जैसे थूक, रीन्ठ और बलगम वग़ैरह पाक है पर लोग घिन करते हैं तो काफ़िर के झूटे से इनसे ज़्यादा घिन करनी चाहिये।

किसी के मुँह से खून आ रहा हो और वो तुरंत पानी पिये तो वो पानी और बर्तन नापाक हो जायेगा लिहाज़ा चाहिये कि पहले मुँह को पाक करे फिर पानी पिये।

मुँह दो तरह से पाक हो सकता है, एक तो ये कि पानी से धो कर खून के असर को खत्म कर ले और दूसरा ये कि कई बार थूके ताकि असर ज़ाइल

हो जाये, ज़्यादा थूकने से भी तहारत मिल जायेगी जबकि असर बाक़ी ना रहे।
थूक में खून हो तो उसे घूँटना सख्त मना है। ये नापाक है और घूँटना गुनाह है।
जारी है.......

आइये नमाज़ सीखें (पार्ट 80)

म'आज़ अल्लाह शराब पी कर अगर कोई फौरन पानी पिये तो पानी नापाक हो जायेगा और अगर रुक कर पिया तो थूक के साथ और अज्ज़ा मिल कर चले जायेंगे तो नापाक नहीं पर शराबी के झूटे से बचना चाहिये। शराबी की मूँछें बड़ी हों और पानी में लगती हों तो जब तक उन्हें पाक ना करे जो पानी पियेगा वो पानी और बर्तन दोनों नापाक हो जायेंगे।
मर्द को गैर औरत का और औरत को गैर मर्द का झूटा अगर मालूम हो कि फुलाँ या फुलानी का झूटा है तो बतौरे लज़्ज़त उस का खाना पीना मकरूह है लेकिन खाने या पानी में कराहत नहीं आयी और अगर मालूम ना हो तो या लज़्ज़त के लिये ना खाया पिया हो तो हरज नहीं बल्कि बाज़ सूरतों में बेहतर है जैसे बा-शरअ आलिम या पीर का झूटा तबर्रुक के तौर पर पीते हैं।
जिन जानवरों का गोश्त खाया जाता है वो चाहे चौपाये हों या परिंदे उन का झूटा पाक है जैसे गाय, बैल, भैंस, बकरी, कबूतर वग़ैरह।

जारी है.......

आइये नमाज़ सीखें (पार्ट 81)

जो मुर्गी छूटी फिरती और गलीज़ पर मुँह मारती हो उस का झूटा मकरूह है और अगर बन्द रहती हो तो पाक है।
गाय अगर गलीज़ पर मुँह मारती हो तो इसका झूटा मकरूह है और अगर मुँह पर नजासत लगी है और बिना पाक किये उसने पानी में मुँह डाल दिया तो पानी नापाक हो जायेगा।
उसका मुँह या तो जारी पानी में मुँह डालने से पाक होगा या फिर गैर जारी पानी में तीन जगह से पीने में।
इसी तरह बैल, भैंस और बकरे नरों ने मादा का पेशाब सूँघा और नज़र से गाइब ना हुये और ना इतनी देर गुज़री कि तहारत हो जाये तो पानी में मुँह डाले तो पानी नापाक है।
घोड़े का झूटा भी पाक है। सूअर, कुत्ता, शेर, चीता, गीधड़, भेड़िया, हाथी और दूसरे दरिन्दों का झूटा नापाक है।
जारी है.......

आइये नमाज़ सीखें (पार्ट 82)

कुत्ते ने बर्तन में मुँह डाला तो वो बर्तन नापाक हो जायेगा।
अगर वो बर्तन धात या चीनी या चिकना है तो तीन बार धोने से पाक हो जायेगा और अगर चिकना नहीं मस्लन मिट्टी का है या चिकना है लेकिन दरार (Crack) है तो हर बार सुखा कर तीन बार धोना होगा सिर्फ धोने से पाक नहीं होगा।

अगर मटके को कुत्ते ने ऊपर से चाटा तो अन्दर का पानी पाक है।

उड़ने वाले शिकारी जानवर जैसे बाज़ और चील वग़ैरह का झूटा मकरूह है और यही हुक्म कौऐ का है और अगर शिकारी परिंदों को शिकार के लिये रखा है तो उन का झूटा पाक है जब तक कि मुँह पर नजासत ना लगी हो।
घर में रहने वाले जानवर जैसे बिल्ली, चूहा, छिपकली, साँप वग़ैरह का झूटा मकरूह है।
अगर बिल्ली किसी का हाथ चाटे तो चाहिये कि फौरन खींच ले और ना चाटने दे, फिर हाथ को धो ले और बगैर धोये नमाज़ पढ़ ली तो हो गई पर खिलाफ़े अवला यानी अच्छा नहीं है।
बिल्ली ने चूहा खाया और बर्तन में मुँह डाल दिया तो नापाक हो गया और अगर ज़ुबान से साफ़ कर लिया कि खून का असर बाक़ी ना रहा तो पाक है।
जारी है.......

आइये नमाज़ सीखें (पार्ट 83)

पानी में रहने वाले जानवरों का झूटा पाक है चाहे वो पानी में पैदा होते हों या बाहर।
गधे और खच्चर का झूटा मश्कूक है यानी इस में शक है कि उस से वुज़ू होगा या नहीं लिहाज़ा उस से वुज़ू नहीं हो सकता क्योंकि नापाकी (हदस) यक़ीनी है और पानी में शक है तो यक़ीन को शक से दूर नहीं किया जा सकता।
जो झूटा पानी पाक है उस से वुज़ू और गुस्ल जाइज़ है और जो नापाक है उस से जाइज़ नहीं।

अगर मकरूह पानी है तो अच्छा पानी होते हुये उस से वुज़ू मकरूह है और अगर अच्छा पानी मौजूद नहीं तो उस से वुज़ू कर सकते हैं और खाने की चीज़ों में भी यही है कि मालदार के लिये मकरूह है और मुहताज के लिये नहीं।

अच्छा पानी नहीं है और मश्कूक पानी है तो उस से वुज़ू कर सकते हैं फिर तयम्मुम भी करे, बेहतर यही है कि पहले वुज़ू करे फिर तयम्मुम और अगर वुज़ू किया तयम्मुम ना किया या तयम्मुम किया वुज़ू ना किया तो नमाज़ ना होगी।

मश्कूक झूटा खाना पीना नहीं चाहिये।

जारी है.......

आइये नमाज़ सीखें (पार्ट 84)

मश्कूक पानी में अगर अच्छा पानी मिल जाये तो अगर अच्छा पानी ज़्यादा है तो वो वुज़ू के लाइक़ हो गया वरना नहीं।

जिस का झूटा नापाक है उस का पसीना और लुआब भी नापाक है और जिस का झूटा पाक है उस का पसीना और लुआब भी पाक है और जिस का झूटा मकरूह है उस का पसीना और लुआब भी मकरूह है।

गधे, खच्चर का पसीना अगर कपड़े पर लग जाये तो कपड़ा पाक है चाहे जितना ज़्यादा लगा हो।

ये तो पानी का बयान हुआ, इस के बाद ये जानना भी ज़रूरी है कि नजासत की कौन-कौन सी क़िस्में हैं और उन के क्या अहकाम हैं।

अब हम नजासत के बारे में तफ़सीली बयान करेंगे कि कौन सी नजासत कितनी लग जाने पर नमाज़ नहीं पढ़ सकते और कितनी लग जाने पर पढ़ सकते हैं।
जारी है......

आइये नमाज़ सीखें (पार्ट 85)

नजासत दो तरह की होती हैं : एक नजासते गलीज़ा और एक नजासते खफ़ीफ़ा।
हमने जिस तरह वुज़ू और गुस्ल की तफ़सील में बताया था कि एक छोटी नापाकी होती है और एक बड़ी नापाकी तो यहाँ भी कुछ ऐसा ही है।
एक है छोटी नजासत यानी हल्की नजासत जिसका हुक्म हल्का है और एक है बड़ी नजासत यानी भारी नजासत जिस का हुक्म सख्त है।
जो बड़ी नजासत है यानी नजासते गलीज़ा उस का हुक्म ये है कि अगर एक दिरहम (के साइज़) से ज़्यादा लग जाये तो उसे पाक करना फ़र्ज़ है वरना नमाज़ नहीं होगी और अगर जान बूझ कर पढ़े तो गुनाहगार है और अगर नमाज़ को हल्का समझ कर ऐसा करे तो ये कुफ्र है।
अगर नजासते गलीज़ा एक दिरहम के बराबर हो तो पाक करना वाजिब है और बिना पाक किये नमाज़ पढ़ी तो आप जानते हैं कि वाजिब का मुक़ाबिल मकरूहे तहरीमी है लिहाज़ा नमाज़ दोहराना वाजिब हो जायेगी और अगर एक दिरहम से कम है तो पाक करना सुन्नत है और बिना पाक किये नमाज़ पढ़ने पर वो नमाज़ सुन्नत के खिलाफ़ होगी जिसका दोहराना ज़रूरी नहीं पर बेहतर है।
जारी है.......

आइये नमाज़ सीखें (पार्ट 86)

आसानी से यूँ समझें कि अगर जिस्म या कपड़े पर नजासत लगी हो तो बेहतर यही है कि उसे साफ़ कर के नमाज़ पढ़ें लेकिन मसाइल अपनी जगह हैं।

किसी के कपड़े पर एक दिरहम से कम पखाना लग जाये तो वो बगैर धोये नमाज़ नहीं पढ़ेगा, हम जानते हैं लेकिन मसअला जानना ज़रूरी है कि किस नजासत के कितना लगने पर क्या हुक्म है ताकि मजबूरी की हालत में हम कहीं नमाज़ ना तर्क कर दें या मसअले का इल्म ना होने की वजह से कहीं ऐसा ना हो कि हम खुद को नापाक समझ कर नमाज़ ही ना पढ़ें या पढ़ लेने पर नमाज़ को फ़ासिद समझ बैठें।

जब भी नजासत की बात आये तो पहले आपको ये देखना है कि नजासत कौन सी है, मतलब खफ़ीफा या गलीज़ा और ये जान लेने के बाद ये देखना है कि वो नजासत कितनी लगी है।

पहले नजासत की क़िस्म मालूम होनी चाहिये फिर फैसला होगा कि कितनी लगने पर क्या हुक्म होगा लिहाज़ा पहले ये जानना ज़रूरी है कि कौन कौन सी नजासत खफीफ़ा है और कौन सी गलीज़ा।

जारी है.......

आइये नमाज़ सीखें (पार्ट 87)

नजासते गलीज़ा के बारे में आप जान चुके हैं कि एक दिरहम का साइज़ देखना होगा लेकिन इस में ये तफ़सील है कि अगर नजासत पतली ना हो बल्कि गाढ़ी हो जैसे पखाना वग़ैरह तो फिर नजासत का साइज़ नहीं बल्कि वज़न देखा जायेगा कि एक दिरहम के वज़न से ज़्यादा तो नहीं और अगर नजासत पतली है जैसे पेशाब, शराब वग़ैरह तो फिर साइज़ देखा जायेगा।

एक दिरहम का वज़न यहाँ पर साढ़े चार माशा होगा और साइज़ हथेली सीधी करने पर जितने हिस्से पर पानी रुक जाये उतना होगा जो कि यहाँ के रुपये के सिक्के के बराबर है (छोटा वाला सिक्का नहीं बल्कि बड़ा रुपये का पुराना सिक्का तक़रीबन वही साइज़ है।)

अब ज़ाहिर सी बात है कि आप सिक्का ले कर या नजासत को तराज़ू पर तौल कर नापेंगे नहीं लेकिन फिक़्ह में हर मुम्किन सूरत के हर पहलू और उसके हुक्म को बयान किया गया है जो कि ज़रूरी भी है लिहाज़ा यहाँ आप अंदाज़ा लगा सकते हैं और समझ सकते हैं कि अस्ल मसअला क्या है।

नजासते खफीफ़ा में दिरहम नहीं बल्कि ये देखा जाता है कि जिस हिस्से पर लगा है उस के एक चौथाई से ज़्यादा पर है या कम है या बराबर।

जारी है.......

आइये नमाज़ सीखें (पार्ट 88)

एक चौथाई यानी 25% तो दामन में लगने पर दामन की एक चौथाई, आस्तीन पर लगे तो उसकी एक चौथाई और हाथ पर लगे तो उसकी एक चौथाई से कम होने पर नमाज़ हो जायेगी और अगर पूरी चौथाई पर लगी हो तो नमाज़ नहीं होगी।

ये जो नजासत में फर्क़ है और दिरहम और चौथाई का फर्क़ है ये तब है जब बात जिस्म या कपड़े की हो अगर पानी में कोई नजासत गिर जाये चाहे खफीफा हो या गलीज़ा तो ये नहीं देखा जायेगा कि दिरहम है या सिक्का है या फिर बर्तन का एक चौथाई है या नहीं बल्कि एक क़तरे से भी पूरा पानी नापाक हो जायेगा (अगर बड़ा हौज़ ना हो तो)

बड़े हौज़ की तफ़सील बयान हो चुकी है कि उस में नजासत पड़ने से पानी नापाक नहीं होता जब तक कि पानी का रंग, बू या मज़ा बदल ना जाये।
जारी है.......

आइये नमाज़ सीखें (पार्ट 89)

अब आइये जानते हैं कि नजासते गलीज़ा कौन-कौन सी हैं और खफीफ़ा कौन-कौन सी।
इंसान के बदन से ऐसी चीज़ निकले जिससे वुज़ू या गुस्ल वाजिब (ज़रूरी) हो जाये तो वो नजासते गलीज़ा है जैसे पेशाब, पखाना, मनी, मज़ी, वदी, बहता खून, पीप, भर मुँह क़य (उल्टी), हैज़, निफ़ास और इस्तिहाज़ा का खून।
दुखती आँखों से जो पानी निकले वो नजासते गलीज़ा है और पिस्तान या नाफ़ से भी दर्द की वजह से जो पानी निजले वो नजासते गलीज़ा है।
बल्गम, नाक की रुतूबात वग़ैरह पाक हैं अगर्चे बीमारी की वजह से निकलें या इसी तरह।
दूध पीते लड़के और लड़की का पेशाब नजासते गलीज़ा है, ये जो आवाम में मशहूर है कि दूध पीने वाले बच्चे का पेशाब पाक होता है, ये गलत है।
इसी तरह अगर बच्चे ने उल्टी की और वो भर मुँह थी तो नजासते गलीज़ा है।

जारी है.......

आइये नमाज़ सीखें (पार्ट 90)

खुश्की के हर जानवर का बहता खून नजासते गलीज़ा है।
मुरदार जानवर का गोश्त और चर्बी भी नजासते गलीज़ा है (यानी ऐसा जानवर जिस में बहता खून होता है और बिना ज़िबहे शरई के मर जाये)
हलाल जानवर को अगर किसी बुत परस्त या मजूसी ने ज़िबह किया तो उस का गोश्त पोश्त सब नापाक हो जायेगा और अगर किसी हराम जानवर को शरई तरीक़े से मुसलमान ने ज़िबह किया तो गोश्त पाक हो जायेगा लेकिन खाना हराम ही रहेगा। खिन्ज़ीर को ज़िबह जिस तरह किया जाये वो नापाक ही रहेगा क्योंकि वो नजिसुल ऐन है।
हराम चौपाये जैसे कुत्ता, शेर, लौमड़ी, बिल्ली, गधा, चूहा, खच्चर, हाथी, सुअर का पखाना पेशाब और घोड़े की लीद नजासते गलीज़ा है।
हलाल जानवर का पखाना जैसे गाय भैन्स का गोबर, ऊँट और बकरी की मेंगनी नजासते गलीज़ा है।
जो परिंदे ऊँचा नहीं उड़ते मस्लन मुर्गी, बतख वग़ैरह की बीट नजासते गलीज़ा है।
जारी है.......

आइये नमाज़ सीखें (पार्ट 91)

हर क़िस्म की शराब और नशा लाने वाली ताड़ी नजासते गलीज़ा है।
साँप का पखाना पेशाब और जंगली मेंढक का खून जिन में बहता खून होता है अगरचे ज़िबह किये गये हों, नजासते गलीज़ा है।
सूअर का गोश्त, हड्डी, बाल सब नजासते गलीज़ा है। हलाल जानवरों का पेशाब नजासते खफीफ़ा है मस्लन गाय, बैल, भैंस, बकरी, ऊँट वग़ैरह।

हराम परिंदे चाहे शिकारी हों या नहीं, उनकी बीट नजासते खफीफ़ा है जैसे कौआ, चील, बाज़ वग़ैरह।
हलाल परिंदे जो ऊँचा उड़ते हैं उनकी बीट पाक है जैसे कबूतर, मैना वग़ैरह।
जारी है.......

आइये नमाज़ सीखें (92)

नजासते गलीज़ा और खफीफ़ा मिल जाये तो कुल नजासते गलीज़ा हो जायेगी।
मछली और पानी के दीगर जानवरों का खून और मच्छर और खटमल का खून पाक है और गधे और खच्चर का पसीना और थूक भी पाक है।
पेशाब की निहायत बारीक (सुई की नोक की तरह) छींटे कपड़े या जिस्म पर पड़ जायें तो कपड़ा और जिस्म पाक रहेगा और ऐसा कपड़ा अगर पानी में गिर जाये तो पानी भी पाक ही रहेगा।
जो खून ज़ख्म में हो बहा ना हो वो पाक है।
जेब में शीशी है और उस में पेशाब, खून या शराब है तो नमाज़ नहीं होगी।
अगर नजासत कपड़े या जिस्म पर एक जगह नहीं बल्कि दो तीन जगह लगी है और मिलाने पर एक दिरहम से ज़्यादा होती है तो धोना फर्ज़ होगा, बिना धोये नमाज़ नहीं होगी यही मजमूए का हुक्म नजासते खफीफ़ा में भी है।
जारी है.......

आइये नमाज़ सीखें (पार्ट 93)

हराम जानवरों का दूध भी नजासत है अलबत्ता घोड़ी का दूध पाक है मगर खाना जाइज़ नहीं।
चूहे की मेंगनी अगर गेहूँ में मिल कर पिस गयी तो आटा पाक है या तेल में गिर गयी तो तेल पाक है, हाँ अगर इतनी ज़्यादा है कि मज़े (Taste) में फ़र्क़ आ जाये तो नापाक है।
अगर पकी हुई रोटी में मिले तो आस-पास का थोड़ा सा हिस्सा हटा दें बाक़ी रोटी में कोई हर्ज नहीं।
अगर पाक कपड़ा और नापाक कपड़ा आपस में लिपटा हुआ है और पाक कपड़ा नम हो जाये तो सिर्फ नमी आने की वजह से नापाक ना होगा जब तक कि पाक कपड़े पर नजासत का रंग या बू ज़ाहिर ना हो जाये।
अगर ज़ाहिर हो गया तो नम होने से भी नापाक हो जायेगा।
ये मसअला उस वक़्त का है जब कपड़ा पानी की वजह से नापाक हुआ हो वरना अगर पेशाब या शराब वग़ैरह नजासत लगी है तो फिर नम होने से भी नापाक हो जायेगा।
अगर नापाक कपड़ा पहन कर सोया या नापाक बिस्तर पर सोया और पसीना आया तो अगर पसीने से वो नापाक जगह भीग गयी फिर उस से तरी जिस्म पर लगी तो नापाक हो जायेगा वरना नहीं।

जारी है........

आइये नमाज़ सीखें (पार्ट 94)

रास्ते की कीचड़ पाक है जब तक उस का नापाक होना मालूम ना हो।

अगर कपड़े या जिस्म पर लग जाये तो धो कर नमाज़ पढ़ ले और बगैर धोये पढ़नी पढ़े तो भी नमाज़ हो जायेगी, हाँ अगर नजिस होना मालूम है तो फिर धोना ज़रूरी है।

सड़क पर पानी छिड़का जा रहा हो और छीन्टे उड़ कर कपड़ों पर पड़े तो कपड़े पाक हैं, धो कर नमाज़ पढ़ना बेहतर है।

आदमी की खाल अगर नाखून बराबर भी पानी में गिर जाये तो पानी नापाक हो जायेगा।

कुत्ता अगर कपड़े या जिस्म से सट जाये तो नापाक ना होगा।

अगर कुत्ते का जिस्म तर है यानी वो भीगा हुआ है तो भी जिस्म या कपड़े से सट जाने पर नापाकी का हुक्म नहीं है। हाँ अगर, उसके जिस्म पर नजासत लगी है और वो लग जाये तो नापाक हो जायेगा।

अगर कुत्ते की थूक लग जाये तो नापाक हो जायेगा।

अगर कुत्ता आटे में मुँह डाल दे तो जितना तर हुआ उतना हटा दें बाक़ी पाक है।

जो गोश्त सड़ गया यानी खराब हो गया और बदबू आने लगी उसको खाना हराम है लेकिन नजिस नहीं।

जारी है........

आइये नमाज़ सीखें (पार्ट 95)

अब ज़रूरी है कि इस्तिन्जा के मसाइल बयान कर दिये जायें :

(1) जब पखाना और पेशाब के लिये जायें तो बेहतर है कि दाखिल होने से पहले दुआ पढ़ लें :

بِسْمِ اللهِ اللّٰهُمَّ اِنِّیْٓ اَعُوْذُ بِکَ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَآئِثِ

ये दुआ पढ़ने के बाद बाया क़दम पहले दाखिल करें और निकलते वक़्त दाहिना क़दम पहले निकालें।

बाहर निकलते वक़्त ये पढ़ें :

غُفْرَانَکَ اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ الَّذِیْ اَذْھَبَ عَنِّیْ مَا یُؤْذِیْنِیْ وَاَمْسَکَ عَلَیَّ مَا یَنْفَعُنِیْ

पखाना या पेशाब करते वक़्त ना पीठ क़िब्ला की तरफ करें ना मुँह।

ये हुक्म घर के अन्दर और बाहर मैदान दोनों का है और अगर गलती से भूल कर बैठ जायें तो याद आने पर घूम जायें।

अगर बच्चे को पखाना या पेशाब कराने वाला उसे क़िब्ला की तरफ कराता है तो गुनाहगार होगा।

हवा के रुख पेशाब करना मम्नूअ है। इस से होगा ये कि क़तरे उड़ कर वापस आयेंगे।

कुएँ, हौज़ या जमे हुये पानी या बहते हुये पानी में पेशाब करना मकरूह है।

जारी है.......

आइये नमाज़ सीखें (पार्ट 96)

फलदार दरख्त के नीचे या उस खेत में जिस में खेती हो या साये में जहाँ लोग उठते बैठते हों या मस्जिद और ईदगाह के पहलू में या क़ब्रिस्तान या रास्ते में या जिस जगह मवेशी बन्धे हों, इन सब जगहों में पेशाब पखाना मकरूह है।

जिस जगह वुज़ू या गुस्ल किया जाता हो वहाँ पेशाब करना मकरूह है।

खुद नीची जगह बैठना और पेशाब ऐसी जगह करना जो ऊँची हो, ये मम्नूअ (मना) है।

सख्त जमीन या पक्के फर्श पर जिस से क़तरे उड़ कर आयें, उस पर पेशाब करना मम्नूअ है।
अगर सख्त जमीन हो तो कुरेद कर या गाढ़ा करके पेशाब करना चाहिये।
खड़े हो कर या लेट कर या नंगे होकर पेशाब करना मकरूह है।
पेशाब या पखाना करते वक़्त नंगे सर नहीं जाना चाहिये।
साथ में कोई ऐसी चीज़ ना ले जायें जिस पर कोई दुआ या अल्लाह व रसूल का नाम रखा हो या किसी बुज़ुर्ग का नाम लिखा हो।
पेशाब के वक़्त बात करना मकरूह है।
पेशाब करने में जितना बदन खोलना चाहिये उतना ही खोलें, हाजत से ज़्यादा ना खोलें।

जारी है.......

आइये नमाज़ सीखें (पार्ट 97)

पेशाब करते वक़्त बायें पैर पर ज़ोर दे कर बैठना चाहिये।
पेशाब या पखाना करते वक़्त किसी दीनी मसअले पर गौरो फ़िक्र ना करें।
छींक या अज़ान का जवाब जुबान से ना दें और बिला ज़रूरत शर्मगाह को ना देखें और ना ही नजासत की तरफ नज़र करें।

पखाने में ज़्यादा देर तक ना बैठें, इस से बवासीर का अंदेशा है।
बाज़ लोग मोबाइल में गेम खेलना शुरू कर देते हैं और फिर पता ही नहीं चलता कि आधे घंटे से टॉयलेट में हैं।
आज कल तो इंग्लिश सीट का रिवाज भी है जिस में आराम से कुर्सी पर बैठने की तरह बैठे रहते हैं। साथ में अमीरों ने तो बाथरूम में टीवी तक लगाना शुरू कर दिये हैं ताकि वहाँ भी टाईम पास कर सकें।

नजासत में थूकना या खंकार डालना जाइज़ नहीं क्योंकि ये पाक हैं और पाक चीज़ को नापाक शय में मिलाना दुरुस्त नहीं।
जारी है.......

आइये नमाज़ सीखें (पार्ट 98)

जब इस्तिन्जा से फारिग हो जायें तो मर्द बायें हाथ से अपने आले को जड़ से सिरे की तरफ सोन्टे ताकि बाक़ी क़तरे निकल आयें। फिर ढेलों का इस्तिमाल करें, अगर पानी से तहारत करनी है तो पानी से धो लें।
पखाना के बाद पहले पेशाब के मक़ाम को धोयें फिर पखाना के मक़ाम को और साँस को नीचे की तरफ ज़ोर दे कर पखाना का मक़ाम धोयें।
आगे या पीछे से जब नजासत निकले तो ढेलों से तहारत हासिल करना सुन्नत है। और अगर सिर्फ पानी से भी तहारत कर लें तो जाइज़ है मगर मुस्तहब ये है कि ढेले लेने के बाद पानी से तहारत करें।
ढेलों की कोई तादाद मुअ़य्यन (Fix) नहीं है, अगर एक से साफ़ हो जाये तो सुन्नत अदा हो जायेगी और अगर तीन ढेलों से साफ़ ना हो तो सुन्नत अदा ना हुई।
बेहतर ये है कि ढेले ताक़ (Odd) हो यानी अगर 2 से तहारत हो गई तो एक और ले कर तीन कर दें और अगर चार से हो हो जाये तो एक और ले कर पाँच कर दें।
जारी है........

आइये नमाज़ सीखें (पार्ट 99)

ढेलों से तहारत उस वक़्त होगी जब नजासत मखरज के आस पास एक दिरहम से ज़्यादा ना लगी हो।

अगर दिरहम से ज़्यादा सन जाये तो अब धोना फ़र्ज़ है लेकिन ढेले लेना अब भी सुन्नत रहेगा।
कंकर, पत्थर, फटा हुआ पुराना कपड़ा ये सब ढेले के हुक्म में है यानी इन्हें भी इस्तिमाल कर सकते हैं।
इन से भी सफाई बिला कराहत जाइज़ है।
दीवार से भी इस्तिन्जे को सुखा सकता है पर दीवार अपनी होनी चाहिये, किसी दूसरे की दीवार पर नहीं।
अगर दूसरे की है या वक़्फ़ है तो ऐसा करना मकरूह है पर तहारत हो जायेगी।
हड्डी, खाने की चीज़, गोबर, पक्की ईंट, कोयला, शीशा और जानवर का चारा और ऐसी चीज़ जिस की क़ीमत हो अगर्चे एक आध पैसा ही सही तो उस से इस्तिन्जा करना मकरूह है।
जारी है.......

आइये नमाज़ सीखें (पार्ट 100)

कागज़ से इस्तिन्जा मना है, अगर्चे कुछ लिखा हुआ ना हो या अबू जहल जैसे काफ़िर का नाम ही क्यों ना लिखा हो।

आज कल टिशू पेपर का इस्तिमाल आम होता जा रहा है।

अल्लामा नसीरुद्दीन मदनी लिखते हैं कि टिशू पेपर भी कागज़ की ही एक क़िस्म है जैसा कि नाम से जाहिर है।

खाना खाने के बाद इस का इस्तिमाल मकरूह है जैसा कि बहारे शरीअ़त में है कि खाने के बाद कागज़ से उंगलियाँ पोछना मकरूह है।

फ़तावा आलमगीरी, फ़तावा रज़विया और उस के हाशिये में मुफ्ती -ए-आज़म रहीमहुल्लाह त'आला ने लिखा है कि खाने के बाद कागज़ से हाथ नहीं पोछना चाहिये।
इस्तिन्जे में इसका इस्तिमाल मकरुहे तहरीमी है कि इस्तिन्जे के लिये मख्सूस चीज़ों के लिये हर मुहतरम और क़ीमती चीज़ का इस्तिमाल मकरुह है, इसके अलावा ये सुन्नते नसारा है और तर्के सुन्नते मुअक्कदा की आदत खुद मोजिबे कराहते तहरीमी है और ये टिशू पेपर का इस्तिमाल उमूमे बलवा भी नहीं।

जारी है.......

हिंदी ज़ुबान में हमारी दूसरी किताबें और रसाइल :

Contents

ABOUT US

Abde Mustafa Official Is A Team From **Ahle Sunnat Wa Jama'at** Working **Since 2014** On The Aim To Propagate **Quraan And Sunnah** Through Electronic And Print Media.

We are :

Writing articles, composing & publishing books, running a special **matrimonial service** for Ahle Sunnat

Visit our official website

www.abdemustafa.in

Books Library

books.abdemustafa.in
about 100+ tehqeeqi pamphlets & books are available in multiple languages.

E Nikah Matrimony

www.enikah.in
there is also a channel on Telegram
t.me/Enikah (Search “E Nikah Service” on Telegram)

Find us on Social Media Networks :

Subscribe us on YouTube @abdemustafaofficial
like and follow us on Facebook & Instagram @abdemustafaofficial
Join our official Telegram Channel t.me/abdemustafaofficial
Books Library on Telegram t.me/abdemustafalibrary
or search “Abde Mustafa Official” on Google
for more details WhatsApp on **+919102520764**

Abde Mustafa Official
abdemustafa78692@gmail.com